बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन

A Study Of Educational Aspirations Of Girls Juvenile Deliquent

एम. फिल. (शिक्षाशास्त्र) उपाधि की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

2016-17

शोध निर्देशक

प्रो. अरबिंद कुमार झा
शिक्षा विद्या पीठ

शोधार्थी

रोली गुप्ता
नामांकन संख्या- **2016/06/218/004**

शिक्षा विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा (महाराष्ट्र) 442001

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997,क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट :हिंदी विश्वविद्यालय,गांधी हिल्स,वर्धा -442001(महाराष्ट्र)भारत

विषयवस्तु तालिका (Table of content)

घोषणा पत्र	1
प्रमाण पत्र	2
आभार	3
विषयवस्तु तालिका	4
तालिका	5
आकृति तालिका	6

अध्याय-प्रथम

क्रम.सं.	शीर्षक	पृ.सं.
1.1.0	प्रस्तावना	1-4
1.2.0	बाल अपराध का अर्थ एवं अवधारणा	5-7
1.3.0	बाल अपराध की प्रकृति एवं स्वरूप	8
1.3.1	बाल अपराध के प्रकार	9-10
1.3.2	भारत में बाल अपराधों में बालिकाओं की स्थिति	11-12
1.3.3	बाल अपराध के उत्तरदायी कारक	12-18
1.4.0	बालिकाओं में बाल अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्वांत	19-24
1.4.1	शैक्षिक आकांक्षा का अर्थ एवं अवधारण	25
1.4.2	भविष्य निर्माण में शैक्षिक आकांक्षा की आवश्यकता	26-27
1.5.0	बाल अपराधी किशोरियों के प्रति समाज दृष्टिकोण :स्थिति एवं आवश्यकता	28-29
1.6.0	समस्या कथन	30
1.6.0	पारिभाषिक शब्दावली	30
1.6.1	बाल अपराध	30
1.6.2	किशोरियों	30
1.6.3	शैक्षिक आकांक्षा	30
1.7.0	शोध लक्ष्य	31
1.8.0	शोध उद्देश्य	31
1.9.0	शोध प्रश्न	31
1.10.0	शून्य परिकल्पना	32
1.11.0	शोध महत्त्व	32-33
1.12.0	शोध का औचित्य	33-34
1.13.0	शोध का परिसीमन	34

अध्याय-द्वितीय

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

क्रम.सं.		पृष्ट सं.
2.1.0	सम्बंधित साहित्य की समीक्षा	35
2.2.0	समस्या से सम्बंधित क्षेत्रों में किये गये कुछ प्रमुख अध्ययन	35-49

अध्याय-तृतीय

शोध प्रविधि

क्रम.सं.	शीर्षक	पृ.सं.
	शोध विधि	50
	जनसंख्या	52
	प्रतिदर्शन और प्रतिदर्शन विधि	52
	अनुसन्धान में प्रयुक्त उपकरण का विविरण	53-56
	प्रत्यक्षण मापनी का मूल्यांकन	54
	परीक्षण का प्रशासन एवं प्रदत्तों का संकलन	56
	सांख्यिकीय प्रविधियां	57

अध्याय-चतुर्थ

आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

क्रम.सं.	शीर्षक	पृष्ट.सं.
4.1.0	प्रस्तावना	58
4.2.0	प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या	58-88

अध्याय- पंचम

शोध सारांश,निष्कर्ष,निहितार्थऔर सुझाव

क्रमं.सं	शीर्षक	पृष्ट.सं .
	प्रस्तावना	89-90
	समस्या कथन	90
	शोध उद्देश्य	90
	परिकल्पना	91
	न्यादर्श एवं प्रतिदर्शन विधि	91
	अनुसन्धान में प्रयुक्त उपकरण	91
	अध्ययन के मुख्य परिणाम	91-92
	शोध के निष्कर्ष	93-94
	शैक्षिक निहितार्थ	94-95
	भावी शोध हेतु सुझाव	96-97

संदर्भ ग्रंथ सूचि(Bibiography)	1-6

आकृतियों की सूचि (List Of Figures)

क्रमं.सं.	शीर्षक	पृष्ट.सं.
4.1	बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक आकांक्षा की आयत आकृति	76
4.2	बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा और शैक्षिक उपलब्धि हेतु आयत आकृति	78
4.3	पारिवारिक सहयोग के प्रतिशत की आयत आकृति	80
4.4	विद्यार्थियों के विचारों के प्रतिशत की आयत आकृति	81
4.5	विद्यार्थियों के प्रयास के प्रतिशत की आयत आकृति	83
4.6	विद्यार्थियों के वास्तविक लक्ष्यों की महत्त्वकांक्षा प्रयास के प्रतिशत का आयत आकृति	84

तालिकाओं की सूचि (List of Tables)

क्रमां.सं.	शीर्षक	पृष्ट.सं.
1.1	बालअपराधी किशोरियों के शैक्षिक आकांक्षा प्राप्तांको का विवरण	75
	बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक आकांक्षा प्राप्तांकों की बारम्बारता	75
	बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक आकांक्षा के प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण	75
	बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक आकांक्षा का विवरण	77
	बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक उपलब्धि का विवरण	77

प्रथम – अध्याय

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र का विकास उनकी आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है। आज के बालक-बालिकाएँ कल के कर्णधार बनेंगे। उनको समुचित देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, परिवेश, सम्मान आदि प्रदान कर उन्हें राष्ट्र के सक्षम और विवेक शील नागरिक बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्र की हैं। **(सिंह एवं प्रसाद , 2007)** परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ समाज भी विकसित और आधुनिक हो रहा है । जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक सुविधाएं विलासिता और आर्थिक प्रगति हमारी प्राथमिकता हो गयी है। जिसकी वजह से आज किशोर होती पीढ़ी अधिक धनोपार्जन और विलासिता पूर्ण जीवन को लेकर विचलित रहती है और इनकी प्राप्ति हेतु समाज और कानून विरोधी कृत्य करने की ओर उन्मुख हो जाती है। किशोर पीढ़ी में बढ़ती यह प्रवृति तात्कालिक समाज के विकास को प्रभावित करती है। बाल अपराध संसार के समस्त देशों की एक गंभीर समस्या बनकर उभ री है। लेकिन इस समस्या के कारक समान न होकर अलग हैं। उनके स्वरुप भिन्न-भिन्न है "संसार के लगभग सभी उन्नतशील तथा विकसित देशों में अपराधी व्यवहार के अंतर्गत बाल अपराध या किशोर अपराध की समस्या अधिक जटिल होती जा रही है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक विस्तार ले रही है। बाल अपराध की समस्या कृषि प्रधान तथा अल्पविकसित देशों की अपेक्षा उन देशों मे ज्यादा विकराल और गंभीर समस्या हो गई है, जो औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर गए हैं "। **(सिंह एवं प्रसाद, 2007)**

बच्चे हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं और उनके रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना समाज और हम सब की जिम्मेदारी हैं। लेकिन पिछले एक दशक से भारत जैसे विकासशील देश में किशोर अपराध की दर में एक बड़ी भारी बढ़ो त्तरी देखी जा रही है । किशोर अपराध आज हमारे समाज के लिए एक बीमारी की तरह होती जा रही है दिनों-दिन बढ़ते हुए बाल अपराध हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक चुनौती है। बच्चों में अपराधी प्रवृत्तियां संसार के सभी देशों में एक गंभीर समस्या बन गई है| समाज में फैले हुये यौन अपराध, बलात्कार, अपहरण आदि की प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ बचपन से ही शुरू होती है। छोटे-छोटे बच्चों में भी कामुक प्रवृतियाँ सहज ही देखी जा सकती हैं| **(सुदर्शन एवं शेंडे,2007)**

अभिभावकों को पता भी नहीं चलता हैं कि उनके बच्चों में किस तरह के गलत कार्यों से यौन भावनाएं जाग्रत हो जाती हैं और उन्हें शांत करने के लिए वे कौन से तरीके अपनाते हैं? बचपन से ही कामुक रोगों से पीड़ित हो जाने वाले बच्चों के दूषित जीवन की सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस समस्या का अत्यंत भयानक पक्ष यह भी हैं कि बाल अपराध किशोर और वयस्क अपराध का प्रवेशद्वार हैं। **(मराल,2003)** यही वह अपराधिक सोपान हैं, जहां बालक-बालिकाएँ अपराधी कृत्य करने में दक्षता प्राप्त कर अपराधिता का प्रथम पाठ सीखते हैं। बाल अपराध एक ऐसी समस्या है, जो कि मूलतःपारिवारिक कलह, सामुदायिक विघटन, शिक्षा की कमी और गरीबी की वजह से पनपती हैं। आधुनिक समाज में संक्रमणशीलता के विस्तार से यह समस्या विशेष रूप से अधिक प्रसारित हो रही हैं|

आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा हैं ये समस्याएँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, नैतिक आदि रूप में विशेषकर हमारी युवा होती पीढ़ी के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जिनकी वजह से किशोर होते युवक-युवतियों में मानसिक विचलन उत्पन्न हो रहा हैं और बाल अपराध जैसी जटिल सामाजिक समस्या लगातार विकराल होती जा रही हैं। शोधकर्ताओं एवं मनोवैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो तमाम ऐसे कारक हैं जिसके कारण एक स्वस्थ बाल मस्तिष्क विकृति की अंधेरी और संकरी गली में पहुँच जाता है और अपराधी की श्रेणी में उसकी गिनती शुरू हो जाती हैं। **(यादव, 2009)** इस वातावरण में परिवार, अवांछित पड़ोस, समाज, स्कूल का अविवेकपूर्ण वातावरण, टी.वी., सिनेमा आदि शामिल हैं। इनके कारण बालक की मानसिक स्थिति अपराध की ओर मुड़ जाती है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे कारक बताएं हैं जिनसें कारण बालक-बालिकाओं में अपराध करने की प्रवृत्ति में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है असफलता का भय,निम्न जीवन स्तर,पारिवारिक अलगाव,अकेलापन,एकांकी परिवार,अध्ययन का बढ़ता बोझ, माता-पिता का समय न मिल पाना,सामाजिक परिवेश,आर्थिक विपन्नता,आधुनिक संस्कृति आदि के चलते बच्चे अपराधों की ओर उन्मुख हो रहे है। **(मोदी, 2014)।**

भारतवर्ष में सामाजिक समस्या के रूप में गंभीर श्रेणी के बाल अपराध में किशोरियों की भागीदारी बढ़ी हैं। कहा जाता है कि लड़की दो परिवारों का मान-सम्मान बढ़ाती हैं परंतु आज बदलते परिवेश मे लड़कियों पर होने वाले अपराध और उनके द्वारा होने वाले अपराधों में आशातीत वृद्धि हुई हैं। **(गुप्ता,2007)** आज समाज में टूटते परिवार, नशाखोरी, गरीबी, अशिक्षा जैसी सामाजिक समस्याओं के चलते हमारा भविष्य अपराध की ओर उन्मुख हो रहा है। जिसमें बालिकाओं की बढ़ती संख्या और भागीदारी चिंता का विषय हैं। आज किशोरियों पर बढ़ते अपराध, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था का न होने और गरीबी के चलते किशोरियाँ अपराध जगत की ओर बढ़ रही हैं जो कि हमारी सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा तंत्र के असफल होने का सूचक हैं **(शर्मा, 2009)**। वास्तव में हमारे समाज की धारणा है कि बालिकाएं अपराध नहीं कर सकती अथवा कम करेगी जबकि हकीकत इससे इतर हैं। क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है उसकी कोई जाति, धर्म या लिंग नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई लड़की है तो वह अपराधी नहीं होगी। वास्तव में हमारे सामाजिक वातावरण में लड़कों की अपराधी प्रवृत्ति को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा शह मिलती हैं। जिसके चलते उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति लड़कियों से ज्यादा पाई जाती है। "अपराध की प्रवृत्ति परिवेश, परिस्थिति और परवरिश पर निर्भर करती हैं। लड़कियों के अपराधी लक्षणों पर परिवार और समाज की नजर रहती हैं और लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक छूट रहती हैं। इस तरह हमारा सामाजिक वातावरण लड़कों के अपराधी बनने की संभावनाओं को बढ़ा

देता हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध समाज विरोधी व्यवहारों को कहा जाता हैं जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध मनुष्य के असामान्य व्यवहार हैं और वैधानिक दृष्टि से अपराध ऐसे व्यवहार हैं जो कानून की दृष्टि से वर्जित हो |" **(सिंह एवं प्र**

इनके अतिरिक्त बाल जीवन में बढ़ती जा रही हिंसा, क्रूरता, गुण्डागर्दी, नशेबाजी, आवारापन आदि ने बाल मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं जिसके चलते बच्चों में अपराध की स्वाभाविक प्रवृत्ति पनप रही है जो कि एक गम्भीर समस्या हैं |**(सिंह, 2001)** जब एक किशोर या किशोरी अपराध करते हैं, तो उसके लिए सुधार कार्यक्रम बनाया जाता है, जो उसको परामर्श से मदद करने और जो उसे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सके। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में किशोर-किशोरियों के पुनर्वास के लिए संप्रेक्षण गृहों में जो शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं क्या वास्तव में वह उनको सुधार की ओर ले जा रहे हैं ? अपराधी किशोर-किशोरियों के लिए कल्याण कानूनों की उपस्थिति के बावजूद, देश भर में बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है **(मतलूब, 2013)।**किशोरों और किशोरियों को बेहतर भविष्य बनाने के क्रम में पुनर्वास केंद्र के लिए भेजा जाता है। विशेष देखभाल और संरक्षण के लिए इन बच्चों को इन केन्द्रों पर भेजा जाता हैं। उनमें गुणात्मक सुधार और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ जीवन यापन करने के उद्देश्य के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किये गए। एक प्रासंगिक सवाल यहां उठता है कि पुनर्वास केंद्र सबसे अच्छे रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है या नहीं |

बाल सुधार गृहों की उपस्थिति के बावजूद, पिछले एक दशक में भारत में बाल अपराधियों की दर में एक बड़ी बढ़ोत्तरी देखी गई है। भारत में नगरीकरण की दर दिन दुगुनी रात चौगनी की गति से बढ़ रही है, जिससे गाँव-कस्बों में, कस्बे-शहरों में और शहर-महानगरों में तब्दील हो रहे हैं। जिनमें बाहर से आने वाले श्रमिक वर्ग झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। इन स्थानों पर न तो पीने का शुद्द पानी है और न ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था। यहाँ नशे का कारोबार पनपता है। जिसका दुष्प्रभाव यहाँ रहने वाले बच्चों पर नकारात्मक ही पड़ता हैं। बच्चें जब अपराध की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हे बाल अपराधी कहा जाता हैं अर्थात जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराधी या बाल अपराधी कहा जाता हैं **(हेकरवाल)।** आयु के आधार पर 8-16 आयुवर्ग के किशोरों एवं 8-18 आयुवर्ग की किशोरियों को कानून के विरुद्ध कार्य करने पर बाल अपराधी माना जाता हैं। **(रिपोर्ट, 2013)** अपराधी प्रवृत्ति वाली किशोरियाँ समाज के गरीब, अशिक्षित एवं अपराध जगत से ताल्लुक रखने वाले परिवारों से आती हैं या फिर उनके साथ समाज ने अन्याय किया होता है जिसके चलते वें अपराध को अपना लेती हैं।

(एनसीआरबी) के आंकडे संकेत देते है कि 2011 में गिरफ्तार किए गए बाल अपराधियों में से केवल 5.7 फीसदी बेघर थे। बाकी 81.3 फीसदी अपने माता-पिता या रिश्तेदारों के साथ रहते थे हालाँकि किशोर अपराधों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी एक कारक रही है। बाल अपराधी किशोरियों का एक बड़ा हिस्सा 57 फीसदी के करीब बेहद गरीब परिवारों से आता हैं। शिक्षा की कमी दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 55 फीसदी से अधिक बाल अपराधी अनपढ़ या प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित हैं। ऐसी लड़कियों के लिए बनाए गए संप्रेक्षण गृह में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता हैं। ऐसी लड़कियों के लिए बनाएं गए संप्रेक्षण गृह में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। न ही अच्छा खाना मिलता हैं और न ही अच्छी शिक्षा, उन्हे प्रताड़ित किया जाता हैं और कभी-कभी उनके साथ में

बलात्कार जैसा घिनोना कृत्य उनके पहरेदारों द्वारा किया जाता हैं। इन स्थितियों में उनमें सुधार की बात बेमानी लगती हैं । लगातार जुल्म, बेबसी और तिरस्कार का जीवन जीने के बाद जब यह किशोरियां समाज में कुछ करना चाहती है और समाज के साथ रहना चाहती हैं तो यह समाज उन्हें स्थान नहीं देता और सहयोग भी नहीं करता। उन्हें सदा शक की नजरों से देखा जाता है|

भारत में सक्रिय बहुत से अपराधी गिरोहों की निगाह ऐसी बेबस, समाज द्वारा छली गयी किशोरियों पर बनी रहती है। धन दौलत का लालच देकर संगठित अपराधी गिरोह इन्हें अपने कुटिल जाल में फंसाकर इनसे संगीन अपराधों की वारदातें अंजाम दिलाते हैं। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली सरीखे बड़े-बड़े नगरों में किशोरियां हत्या,लूट और देह व नशे के व्यापार जैसे अपराधों में इस्तेमाल की जा रही हैं। ट्रेन में जहरखुरानी और पॉकेट मार गिरोह की यह मुख्य सदस्य के रूप में वारदात को अंजाम देती हैं। किशोरियों में बढ़ती अपराधी प्रवृत्ति के कारणों को जानने और संप्रेक्षण गृह में उनमें सुधार के लिए चलाये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों की वास्तविकता का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उनकी शैक्षिक महत्वाकांक्षा को जानने का भी प्रयास किया जाएगा। जिससे उनके विकास के लिए एक समुचित शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण किया जा सके|

1.2 बाल अपराध का अर्थ एवं अवधारणा

बालक-बालिकाओं में पनपती अपराधी प्रवृत्ति आज के समय की गंभीर समस्या है। विशेषकर लूट, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में उनकी भागीदारी आज तकनीकी युग में अपराध की बदलती प्रवृत्तियां एवं तरीकों ने बाल अपराधियों को भी प्रभावित किया है। **(शंकर, 2015)** टीबी पत्र-पत्रिकाओं, इंटरनेट, घर-परिवार, आस-पड़ोस में दिखाई पड़ने वाली हिंसा और अपराध जगत की चकाचौधं का प्रभाव बालमन और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे किशोर आयु के लड़के व लड़कियां अपराध की ओर उन्मुख हो रही है। **(बंदुरा)** साथ ही साथ परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति, अशिक्षा और सामाजिक परिवेश भी किशोर मन-मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे है। मूलतः अपराध की तरह ही बाल-अपराध भी समाज विरोधी कार्य है, जिसमें एक निश्चित आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं द्वारा निर्धारित कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है। **(पाण्डेय, 2007)** अर्थात जब गैर वयस्क किशोर अथवा किशोरी द्वारा देश के स्थापित कानून को तोडा जाता है तो उसे बाल-अपराधी कहा जाता है। **इवांस** बाल अपराध को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है "जब कोई 18 साल से कम आयु का व्यक्ति नैतिक या क़ानूनी नियमावली को तोड़ता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता हैं|"

बाल-न्यायालय अधिनियम (1986) के अनुसार आज बाल अपराधियों की अधिकतम आयु किशोरों के लिए 16 एवं किशोरियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस संबंध में **जे.सी दत्त का मत** है कि "भारत में बाल-अपराध तीव्र गति के साथ एक गंभीर संकट होता जा रहा है,देश के विभिन्न भागों में जो आज से कुछ वर्ष पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के अंग थे उनमें प्रगतिशील औद्योगिकरण के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है।" विभिन्न शोधो से पता चलता है कि कुछ बच्चे स्वभाव से अपराधी नही होते अपितु परिस्थितिवश वे अपराधी बन जाते है। किशोरियों के संदर्भ में परिस्थिति एक प्रमुख कारक है। जिसमें परिवार की गरीबी, बेरोजगारी से तंग आकर वे चोरी, हत्या, लूटमार, नशे का व्यापार आदि अपराधों में लिप्त हो जाती हैं तो वही समाज के अराजक तत्वों से अपनी इज्जत बचाने के लिए वे हत्या या प्राणघातक हमले जैसे

अपराध भी कर बैठती है। परंतु कुछ ऐसी भी होती है जो सोच-समझकर अपराधी समूहों का हिस्सा बनती हैं और क्रमिक रूप से अपराध करती है। इस प्रकार चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, भगोडेपन, कानून विरोधी आचरण में परिस्थितिवश अथवा सोच-समझकर संलिप्त पायी जाने वाली किशोरियों को बाल-अपराधी माना जाता है।

किशोरियों में अपराधिक प्रवृत्ति के संदर्भ में **रैकलैस** ने कहा है कि "लडकियां प्रमुख रूप से नियंत्रणहीनता, भगोड़ेपन तथा यौन संबंधी अपराध करती है जबकि इसके ठीक विपरीत लड़के प्रायः मारपीट और सम्पत्ति संबंधी अपराध अधिक करते है।" बाल -अपराधी और वयस्क अपराधी में अतंर उनके अपराध की गंभीरता की दृष्टि से एवं उनके सुधारात्मक परिवेश के आधार पर किया जाता है। जिसमें उनकी सुनवाई न्यायालय द्वारा प्रयोग तरीकों, निर्णय के बाद निरूद्ध रखने की प्रक्रिया, सुधारात्मक कार्यक्रम, समाज में प्रतिष्ठित कानूनी अधिकारों द्वारा उनके मध्य अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। **(अधिनियम, 2000)**

यदि किशोर या किशोरी किसी कानून का उल्लंधन करते हैं तो सामान्य दृष्टिकोण यह होता है कि अपराधी अपरिपक्व है और उसे समुचित निगरानी व सहायता की आवश्यकता है। ऐसे किशोर आयु के लड़के व लड़कियां कठोर दण्ड के पात्र नहीं होगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किशोर अपराधियों में भी जो लड़के व लड़कियां अधिक उम्र के है अर्थात 16 से 18 वर्ष तक के है उनके प्रति भी सामान्य दृष्टिकोण 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों से अलग होता है और सामान्यता अधिक उम्र किशोरों के प्रति सामान्य अपराधियों की तरह कठोर दृष्टिकोण अपनाये जाने की वकालत की जाती है। **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000** में 16 से 18 वर्ष तक के किशोरों हेतु अन्य किशोरों की अपेक्षा कतिपय विशेष दण्डादेश पारित किए जाने के प्रावधान किए गये हैं।

प्राख्यात समाजशास्त्री डा. रूप मौरिस ने 56 अपराधी बालकों एवं बालिकाओं का एक समान अध्ययन करके किशोरियों में पाए जाने वाले अपराधों की विशिष्ट प्रकृति का उल्लेख किया है। लड़को की तुलना में लड़कियों में अपने अपराधों के लिए अत्यधिक खेद लज्जा एवं पश्चाताप की भावना पाई जाती है एवं अन्य व्यक्तियों के अपराधिक कृत्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण भी लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिरोधात्मक होता है।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो आयु, व्यवहार, मानसिक और सामाजिक परिपक्ता व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाल-अपराधी बालक एवं बालिकाओं के साथ दण्ड में नरमी बरती जाती है और उसे सुधार हेतु अवसर प्रदान किए जाते हैं। बाल-अपराधियों के प्रति यह दृष्टिकोण किशोरावस्था संबंधी उस अवधारणा का परिणाम है जो यह मानती है कि किशोर आयु के लड़के-लड़कियों को सुधारात्मक एवं प्रतिस्थापन कार्यक्रमों के माध्यम से अपराधी बनने से रोका जा सकता हैं इसीलिए संप्रेक्षण गृहों में निरूद्ध बाल-अपराधियों में प्रांरभ से ही असामाजिक लक्षणों को रोकने एवं उन्हे एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के प्रयोग किय जाते हैं। परिस्थितिवश अपराध में संलिप्त हुए बाल-अपराधियों के संबंध में **न्यूमेयर इवान, जेम्स शार्ट जूनिया, वाल्टर रैकलेस** आदि समाजशस्त्रियों का मत बाल-अपराध की अवधारणा में व्यवहार के प्रकार पर बल देता है।

वाल्टर रैकलेस के अनुसार- ''बाल-अपराध शब्द अपराधी संहिता के उल्लघंन पर एवं व्यवहार प्रतिमानों के उस अनुसरण पर लागू होता है, जिसे बच्चों अथवा किशोर आयु के बालक-बालिकाओं के समाज द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता है। इस प्रकार आयु और व्यवहार उल्लंघन जो विद्यान में निषिद्ध हो बाल अपराध की अवधारणा में महत्वपूर्ण है।"

इसलिए मनुष्य, समाज एवं राष्ट्र का यह कर्तव्य बनता है कि बाल-अपराध की समस्या पर ध्यान दे एवं समाज एवं राष्ट्र को समृद्ध बनाए। इनकों विभिन्न सुधारात्मक प्रयासों के माध्यम से ही सही किया जा सकता है इसके लिए सरकार के साथ-साथ स्वंयसेवी संस्थाओं को भी आगे आना होगा।

1.3 बाल-अपराध की प्रकृति एवं स्वरूप

भारत में जितने बाल अपराध प्रति वर्ष होते हैं इनमें से सिर्फ दो प्रतिशत ही पुलिस व न्यायालय के ध्यान में आते हैं। भारत में प्रति वर्ष 50,000 बाल-अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत एवं 85000 स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के तहत दर्ज किये जाते हैं। बाल-अपराध गांव की तुलना में शहरों में ज्यादा हो रहे हैं**(दैनिक जागरण, 2013)** लड़कों की तुलना में लड़कियों में बाल-अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जा रही हैं। सर्वाधिक बाल अपराध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में होते हैं और सबसे कम केरल में होते हैं। **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों द्वारा 2012** के आकड़ों के अनुसार किशोर अपराध में मध्य-प्रदेश (19.9),फीसद, महाराष्ट्र में (19 फीसद), छत्तीसगढ़ में (8.7 फीसद), आंध्र-प्रदेश (7.3 फीसद), राजस्थान (7.3 फीसद), गुजराज में (6.4 फीसद), मामले दर्ज किये गये हैं।

2011 में देश के कुल किशोर अपराधों में लड़कियों का फीसद 5.84 रहा जबकि इनका हिस्सा 2010 में सिर्फ 5.1 प्रतिशत रहा। **(दैनिक जागरण, 2013)** बाल-अपराध में आर्थिक प्रकृति के अपराध जैसे चोरी, सेंध मारी, झगड़ा-फसाद, हत्या, राहजनी, लूट आदि प्रमुख हैं। भारत में सामान्य रूप से छोटे अपराधों और विशेषरूप में जघन्य अपराध बच्चों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे हैं। चोरी, सेंधमारी जैसे अपराध जिनकी प्रकृति बहुत गंभीर नहीं है या डकैती लूटमार, हत्या और दुष्कर्म आदि जैसे अपराध जो गंभीर प्रकृति से संबंधित है। पूरे देश में उत्थान पर है और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के सभी अपराध 18 साल की आयु से कम के बच्चों द्वारा किये जा रहे हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु समूह वाले किशोर इन जघन्य अपराधों में अधिक शामिल पाये जाते है। **राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के वर्ष, 2013** के आंकडे दिखाते है कि **भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी)** के तहत नाबालिकों के खिलाफ 42,506 विशेष स्थानीय कानून के तहत अपराध दर्ज हुए। किशोरों द्वारा जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच हैं के खिलाफ 28,830 अपराधिक मामले दर्ज है। आंकडे दिखाते है कि 2013 में 2012 की तुलना में किशोर मामले में **(आईपीसी)** और **(एसएलएल)** में क्रमशः 13.6 फीसदी और 2.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। **राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के बर्ष 2014** के आंकडो के अनुसार देश में दर्ज कुल 28,51,563 अपराध में से 48,230 मामले किशोर युवक-युवतियों के विरूद्ध दर्ज थे।

1.4 बाल अपराध के प्रकार

बाल-अपराध आचरण, व्यवहार, प्रकृति और स्वरूप के अनुसार समाज में विभिन्न रूप से प्रदर्शित होता है। जिसमें प्रत्येक की अपनी विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के चलते भिन्न-भिन्न सामाजिक संदर्भ होते है। जिनके आधार पर समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं अपराधशास्त्रियों ने बाल अपराध के प्रकारों को वर्गीकृत किया है। जिसमें **हावर्ड बेकर** द्वारा दिया गया वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार बाल अपराध मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।

1 **व्यक्तिगत बाल अपराध**

2 **समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध**

3 **संगठित बाल अपराध**

4 **परिस्थितिजन्य बाल अपराध**

व्यक्तिगत बाल अपराध- इस प्रकार के बाल अपराध में लड़के अथवा लड़की द्वारा स्वंय ही अपराध को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार के बाल अपराध में लिप्त लड़के-लड़कियों का व्यक्तिगत जीवन परेशानियों से भरा होता है। जिसके कारण उनकी मानसिक स्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती और वे स्वयं को समाज में हीन महसूस करते हैं। इसके अलावा बार-बार व्यक्तिगत असफलताओं, व्यक्तिगत उपेक्षा, परिवार में गैर बराबरी, जीवन से असंतुष्टि आदि उनमें हिंसा, ईर्ष्या और स्वयं को समाज में विशिष्ट दिखाने की इच्छा आदि दोषों का प्रसार करता है और वे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद सम्मान आदि के लिए अपराध करने लगते हैं। जो एकाएक लड़के-लड़कियों को व्यक्तिगत रूप से अपराधी बना देती है। इस प्रकार के अपराध के स्वभाव में बाल-अपराधी में उत्तेजना,मानसिक विचलन, दोषपूर्ण पारिवारिक व्यवहार आदि पाया जाता है।

समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध- बाल अपराध की यह स्थिति गलत संगत के कारण उत्पन्न होती है। इसमें लड़के एवं लड़कियां जिस समूह में रहते हैं उसके अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले अपराध में उनका समूह उनकी मदद करता है। कभी-कभी समूह अपराध की योजना बनाता है और उसी समूह के दो या तीन सदस्य मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। इस संबंध में **थ्रेसर, शां एवं मैके के** अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रकार का बाल अपराध पूर्व के अपराधी रह चुके लोगों के संपर्क और संगति के कारण होता है। जो किसी लड़के या लड़की के मन में मौजूद हिंसा, नफरत और लालच के भाव को समर्थन प्रदान कर उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे तैयार करते है। इसी आधार पर **सदरलैण्ड** ने विभिन्न संपर्क का सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने जीवन में जब गलत संगत और परस्पर विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करता है और अपराध करने वाले व्यक्ति या समूह के संपर्क में आ जाता है तो वह उस अपराधी समूह से समर्थन प्राप्त कर अपराधी बन जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि इस प्रकार वह अपराधिक व्यवहार के व्यक्तियों के संपर्क से छोटे एवं घनिष्ट समूह में फंस जाता है। इस प्रकार अपने संघर्षकाल की अवस्था में किशोर, लड़के एवं लड़कियां गलत संगत के समर्थन से अपराध करने लगते हैं।

संगठित बाल अपराध- जब कोई किशोर आयु का लड़का या लड़की पूर्व में अपराधिक कार्यों के लिए बने संगठित समूह का सदस्य बनकर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो उसे संगठित बाल-अपराध कहा जाता है। इस प्रकार से संगठित बाल अपराध में अधिकतर गंभीर अपराध जैसे डकैती, लूट, हत्या आदि को किया जाता है। एक तरह से इस प्रकार का बाल अपराध पूर्ण अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें अपराध करने के लिए पूर्व में योजना तैयार की जाती है और प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप उसकी भूमिका का निर्धारण किया जाता है। इस पूरे संगठित बाल अपराध के होने में एक नेतृत्वकर्ता होता है जो उस संगठन का मुखिया होता है। जो संगठन के सदस्यों के व्यवहार, अपराध करने की कुशलता आदि को नियंत्रित करता है और कार्यानुसार अपराध करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। संगठित प्रकार के बाल अपराध में गुट के प्रत्येक सदस्य को उसके कार्य के आधार पर संगठन में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार के बाल अपराध का वर्णन सर्वप्रथम **कोहेन** ने किया था।

परिस्थितिवश बाल अपराध- परिस्थितिवश होने वाले बाल अपराध अन्य सभी प्रकार के अपराधों की श्रेणी से भिन्न संदर्भ रखते हैं। इस प्रकार के बाल अपराध में लड़का व लड़की अचानक उत्पन्न हुयी विषम परिस्थितियों से निजात पाने के लिए अनभिज्ञता में अथवा जान-बूझकर अपराध करता है। भूख से बेहाल गरीब बच्चे रोटी की चोरी और बलात्कार की शिकार लड़की द्वारा हत्या, हत्या का प्रयास या आत्महत्या परिस्थितिजन्य बाल अपराध है। जिसमें वह तात्कालिक उत्पन्न हुयी परिस्थितियों के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करता है। अधिकांश शोध अध्ययनों में पाया गया है कि बाल अपराध में लड़के और लड़कियां गरीबी के चलते लिप्त हो जाते हैं। **(कुमारी, 2007)** जिस्मफरोसी के अपराध में पकड़ी जाने वाली अधिकतर लड़कियां घरेलू नौकरानी, शादी का झांसा देकर लायी जाती हैं जिन्हे बाद में अपराध में धकेल दिया जाता है और फिर वे मजबूरी में इस प्रकार के अपराध में बनी रहती है। इसी तरह संप्रेक्षण गृहों में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास के अपराध में निरूद्ध लड़कियों में अधिकांश गरीब घरों की है। जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जब हमला किया या प्रतिकार किया तो उन्हें रसूखदार लोगों द्वारा झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया है। वस्तुतः परिस्थितिवश अपराध की अवधारणा का उल्लेख डेविड माल्टजा द्वारा किया इसे बाल अपराध का प्रतिस्थापन न मानकर संपूरक माना जाता है।

1.5 भारत के बाल अपराधों में बालिकाओं की स्थिति

किसी भी समाज में पनपता अपराध सामाजिक ढांचे के सर्वाष्टिकारी सिद्धांत पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। विशेषकर बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध सामाजिक व्यवस्था के दोषपूर्ण एवं शोषणयुक्त होने की पुष्टि करते हैं। भारत में यह स्थिति विकट है। बाल अपराध में बढ़ती हिंसक प्रवृति एवं गंभीर अपराधों में लड़कियों की संलिप्तता एक गंभीर प्रश्न है। **नेशल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के आंकडे** दर्शाते हैं कि वर्ष 2001 से 2014 के मध्य बाल अपराधों में लड़कियों की संलिप्तता में कमी आयी है, परंतु अपराधों की प्रवृत्ति गंभीर एवं अपराध के तरीके शातिर षड्यंत्र पर आधारित है। वर्ष 2001 में लड़कियों द्वारा किए गए कुल 2333 अपराधों में से 483 **(एसएलएल)** श्रेणी के अपराध थे जो कि 20.70 प्रतिशत थे। वहीं वर्ष 2014 में लड़कियों द्वारा 1071 अपराध किए गए जिनमें से 521 अपराध गंभीर एवं षडयंत्रकारी श्रेणी थे। इस प्रकार यदि देखा जाए तो वर्ष 2014 में लड़कियों द्वारा किए गए कुल अपराध में से 48.60 प्रतिशत अपराध गंभीर श्रेणी के अपराध थे। यह आंकडे स्पष्ट करते हैं कि लड़कियों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों में गंभीर श्रेणी के अपराधों में आशातीत वृद्धि हुई है।

वर्ष 2001 में 33628 अपराधिक मामले बाल अपराध के तहत दर्ज किए गए जिसमें 2333 मामले लड़कियों पर दर्ज थे, जो कुल बाल अपराध का 6.93 प्रतिशत था। यदि वर्ष 2001 के बाल अपराध में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो 7-12 आयु वर्ग की 105, 12-16 आयुवर्ग की 598 और 16-18 आयुवर्ग की 1630 लड़कियों पर अपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। जिनका प्रतिशत क्रमशः 4.5, 25.63 और 69.18 प्रतिशत था। वहीं **(रिपोर्ट, 2014)** में बाल अपराध के तहत कुल 48230 मुकदमे पंजीयत हुए, जिनमें 1091 मुकदमें लड़कियों पर दर्ज थे जो कि 2.22 प्रतिशत थे। **(रिपोर्ट, 2014)** के आंकडे बताते हैं कि 15 वर्ष में लड़कियों द्वारा बाल अपराधों में संलिप्तता में आधे से भी ज्यादा कमी आयी है। 2014 में 7-12 आयुवर्ग की 81, 12-16 आयुवर्ग की 314 और 16-18 आयुवर्ग की 746 लड़कियों पर अपराधिक मामले दर्ज किए गए। जिनका प्रतिशत क्रमशः 7.56, 29.31, 69.65 रहा। संख्यावार बाल अपराध में लड़कियों की बाल अपराध में संलिप्तता के आकड़ों से दृष्टिगत होता है। कि इनमे कमी आयी है परंतु जब हम आयुवार इसका वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं कि 7-12 और 12-16 आयुवर्ग की बालिकाओं की अपराध में संलिप्तता काफी बढ़ी है। बाल अपराध में संलिप्त पायी जाने वाली 7-12 आयुवर्ग की लड़कियां परिस्थितिजन्य जबकि 12-16 आयुवर्ग की लड़कियां षडयंत्रकारी गंभीर अपराधों में निरूद्ध है।

भारत में होने वाले बाल अपराध में संलिप्त लड़कियों की गंभीर अपराध में संलिप्तता और 7-12 और 12-16 आयुवर्ग की लड़कियों की अपराध में बढ़ती भागीदारी शासन-प्रशासन की विभिन्न योजनाओं, शिक्षा की परिवर्तनकारी शाक्तियों एवं सामाजिक ढांचे की भूमिका को कठघरे में खड़ा करती हैं।

1.6 बाल-अपराध के उत्तरदायी कारक

बाल-अपराध आज समाज की गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। जैसे-जैसे समाज की उन्नति, विकास और वृद्धि होती जा रही है, वैसे-वैसे समाज में बाल-अपराध की समस्या बढ़ती जा रही है। समाज में बाल अपराध घटित होने का कोई एक कारक नहीं है उनके पीछे अनेक कारण उपस्थित रहते हैं। समाज में निर्धनता, दोषपूर्ण परिवार, तनाव, मूल्य सघर्ष आदि के अलावा अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग व्यक्तियों के कारणों में भिन्नता होती है। बाल अपराध के कारणों में से केवल एक ही कारण की प्रधानता नहीं दी जा सकती है। आज के वर्तमान समय में यह विचारधारा प्रचलित है कि अपराध व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के संयोग से होता है। व्यक्तिगत कारकों में शारीरिक अपंगता, व्यक्तिगत संघर्ष, भय, मानसिक असामान्यता व रोग एवं दोषपूर्ण परिवार, विघटित पड़ोस, मित्रसमूह, सम्पर्क, चलचित्र और अश्लील साहित्य पर्यावरणीय कारकों में मुख्य माने जाते हैं। **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 'क्राइम इंडिया 2015'** की रिपोर्ट के तहत वर्ष 2015 में बाल अपराध के तहत पंजीकृत हुए बालक-बालिकाओं में 21.18 प्रतिशत निरक्षर, 31.1 प्रतिशत बाल अपराधी कक्षा 3 तक, 36.67 प्रतिशत बाल अपराधी कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। इसके अलावा तकरीबन 10.5 प्रतिशत बाल अपराधी कक्षा 9 से ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षा सामाजिक बदलाव का प्रमुख साधन है बाल-अपराधियों से जुड़े शिक्षा संबंधी आकंड़े बताते है कि निरक्षर और मात्र कक्षा पांच तक शिक्षा प्राप्त बाल अपराधी कुल अपराधियों की संख्या में तकरीबन 52 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं।

माना जाता है कि शिक्षा हमें जीवन के निर्णय एवं आत्म-निर्भर होने में सक्षम बनाती है। **(एनसीआरबी)** के आंकड़े यह दर्शाते है कि अशिक्षा मनुष्य को विकल्प विहीन बनाकर असामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड क्राइम इंडिया, 2015 की रिपोर्ट बताती है कि 2015 में बाल अपराध के तहत पंजीकृत हुए बालक-बालिकाओं में 55.6 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 25000 से कम है अर्थात वे निम्न आय वर्ग परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

22.4 प्रतिशत बाल अपराधी ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 25 से 50 हजार के मध्य है और इनकी आर्थिक स्थिति बदत्तर ही है। 50 से 1 लाख तक की आय वाले अपराधियों का प्रतिशत 14.3 है जबकि 1 लाख से 2 लाख तक की आय वर्ग में 5.2 है और 2 से 3 लाख आय वर्ग के अतंर्गत 2.5 प्रतिशत ही बाल अपराधी आते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्धनता भी बाल-अपराध को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

बाल अपराध के कारकों के सन्दर्भ में कुछ विचारकों का मत है कि व्यक्ति में अपराध करने की प्रवृत्ति जन्म से ही होती है वे सामाजिक कारकों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। **हेनरी मॉडसले** ने एक ज्यूक दम्पत्ति का अध्ययन किया और पाया कि उनके वंशजों में लगभग पांच पीढियों से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ है जिसके कारण उनके अधिकांश सदस्य आवारा,अंकिचन,निर्धन है और उनमें अपराध करने की लगभग एक जैसी प्रवृत्ति पाई गई। लेकिन वर्तमान में व्यवहार न तो जन्मजात है और न माता-पिता के द्वारा उन्हें विरासत के तौर पर दिया जाता है। अपराधी होने के पीछे हमारी सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं प्रमुख कारक है। **(वर्मा, 2012)** कुछ अन्य लोगों के अनुसार इसकी व्याख्या व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, संगति, मित्रता या गिरोह-निर्मित के माध्यम से किया जाना सम्भव है। अपराध की व्याख्या हेतु एक उपसंस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जिसके अनुसार निम्नवर्गीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित परिस्थितियां व्यक्ति के समक्ष परेशानी खड़ा करती है। **(आहूजा, 2015)**

सामाजिक कारण

पारिवारिक कारण- समाजशास्त्रियों के मतानुसार व्यक्ति के जीवन में परिवार की अहम भूमिका होती है। व्यक्ति अपनी परिवार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ ही साथ परिवार से नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी ग्रहण करता है। परंतु हर परिवार की अपनी एक संरचना होती है और वह उसी संरचना के अनुसार कार्य करता है और सभी व्यक्ति की पारिवारिक स्थितियां अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। सभी व्यक्ति सामान्य परिवारों में नहीं रहते तथा सामाजिक-करण के अन्तः संबंधों को व्यक्तिगत अनुभव नहीं करते हैं। पारिवारिक कारणों में निम्न कारण प्रमुख हैं|

भग्न परिवार-जिस परिवार में माता-पिता में से एक की मृत्यु हो जाये या आपस में तलाक हो जाये या किसी कारण वश माता-पिता को कारावास में रहना पड़े ऐसे परिवार को भग्न परिवार कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को दोनों की अनुपस्थिति में स्नेह की कमी उन्हें अनुशासन व सामाजिक नियम न सिखाने उन पर ध्यान न देने की स्थिति उन बच्चों को मूल्यों की शिक्षा से वंचित कर उन्हें कुसंगति की ओर ले जाती है। जिससे इस प्रकार के परिवारों के बच्चे जीवन में

सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहते है । **(बांदे, 2017)** भारत में पूना,अहमदाबाद और वाराणासी में किए गए अध्ययन से भी यही पता लगा कि बाल अपराध में टूटे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

निर्धन परिवार-बाल-अपराध को बढ़ाने में आर्थिक पारिस्थितियां भी जिम्मेदार मानी जाती है । निर्धन परिवार में निर्धनता बहुत ज्यादा होने पर माता-पिता अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहते है। तो ऐसी स्थिति में बच्चें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करन के लिए इधन-उधर भटकते हैं जिसका उन बच्चों की आकांक्षाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है । जब वह अपने साथियों की आर्थिक स्थिति अच्छी देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने हेतु विभिन्न गलत रास्ते को स्वीकार करने की इच्छाएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण बालक-बालिकाएं अपराधिता की ओर अग्रसर हो जाते है। **(राम, 2000)** यदि परिवार में निर्धनता अधिक होती है तो वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से भरण-पोषण कर पाते है। ऐसी स्थिति में वे बच्चे जो झुग्गी-झोपडियों में रहते हैं और जिनके माता-पिता अपनी व्यस्तता के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं वह ध्यान न देने के कारण शराब, नशाखोरी, चोरी, बुरी संगति आदि में पड़ जाते हैं। **(सिदर, 2017)** अपराधियों की एक बडी संख्या निर्धन आर्थिक स्थितियों से होती है और अपराधी परिवारों में निर्धनता की स्थिति सामान्य परिवारों से कही अधिक होती है। **(हरविज, 1952)**

सौतेले माता-पिता का व्यवहार- समाजशस्त्रियों के अनुसार बाल अपराध को बढ़ाने में सौतेले माता-पिता का व्यवहार भी महत्वपूर्ण माना जाता हैं कुछ असमय जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि युवक या युवतियों को अपने प्रिय बच्चों को छोड़कर इस संसार से जाना पड़ता है। ऐसी हालात में युवक एवं युवती को दूसरी शादी होने पर वह पहले से उत्पन्न बच्चों को अपना न मानकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं । पक्षपात से ग्रसित होकर सौतेले माता-पिता जब बच्चे को डांटते है और मारते है तो उन्हें आवश्यक स्नेह की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे अपराध की ओर बढ़ते हैं। **(आत्रेय, 2015)**

अनैतिक आचरण वाले परिवार- जिन परिवारों में शराब और नशा आदि बुरा नहीं माना जाता है जहाँ माता-पिता यौन संबंधी अनैतिक आचरण करते हैं उन परिवारों के बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं में माता-पिता के अनैतिक आचरण और ध्यान न देने की स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **मिस इलियत ने स्टेलन** फार्म की समस्त अपराधी लड़कियों के अध्ययन में यह देखा कि 67 प्रतिशत लड़कियां अनैतिक परिवारों से आयी हैं। ऐसे व्यवहारों का उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है।

अशिक्षित माता-पिता- प्रायः जिन बालक-बालिकाओं के माता-पिता आशिक्षित या पढ़े-लिखे नहीं होते है वह अपने बच्चो को जीवन की समस्याओं से अवगत नहीं करा पाते हैं । अशिक्षित माता-पिता जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं में धैर्य, चिंतन, मनन, आत्म विश्वास के साथ उनमें जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की समझ विकसित करने में सक्षम नहीं होते हैं। जिसके कारण बालक-बालिकाओं में आवांछित व्यवहार करना प्रारम्भ कर देते हैं।

माता-पिता द्वारा तिरस्कार- सहयोग और स्नेह विहीनता का भी बाल अपराध से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, वह बालक-बालिकाएं जिनको हमेशा अपने परिवार में माता-पिता के द्वारा उपेक्षा मिलती है नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। **(अत्रेय, 2015)** इसके अलावा परिवार का समर्थन और संरक्षण न मिलना भी वह प्रमुख कारण है जिससे विचलित या हताश होकर वह समाज विरोधी कार्य स्वयं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए करने लगते हैं और धीरे-धीरे अपराध करने वाले गिरोह में सम्मिलित हो जाते हैं।

बुरी संगति- बुरी संगति भी बाल अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। गलत संगति बच्चे के अंदर कुविचार एवं अनैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बच्चे वैसा ही करना प्रारम्भ कर देते हैं जैसे उनके समूह के बच्चे करते हैं। **प्रमुख समाजशास्त्री एडविन एच.सदलैण्ड के अनुसार** "अपराधी व्यवहार दूसरे व्यक्ति से अंतक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। कानून के उल्लंघन करने में सहायक परिभाषाओं की अपेक्षाकृत अधिकता हो जाने के कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है। बच्चे को बुरी संगति मिलने या करने से उसमें नकारात्मकता भर जाती है वह अच्छे या बुरे में फर्क करना भूल जाता है और अपराध की ओर बढता चला जाता है।" **वर्ट** ने 18 प्रतिशत और **हीली** ने 34 प्रतिशत बाल अपराधों का कारण बुरी संगति बताया है।

चलचित्र व अश्लील साहित्य- सिनेमा और कामिक पुस्तके जिनमें व्याभिचार, धुम्रपान, मदिरापान और क्रुरता का चित्रण होता है, बच्चों और किशोर मन के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी आधार पर आधारित है कि हम बच्चे को जैसा दिखाते है या देखते है उनके बाल मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा वैसा ही व्यवहार या आचरण करना प्रारम्भ कर देता है। **(ब्रूनर)** वर्तमान समय में देश के विभिन्न भागों से कई बच्चे साधारण चोरी, सेंध लगाकर चोरी और अपहरण करने के लिए उन्हे तरीकों का उपयोग करते हैं जैसा चलचित्र में दिखाया जाता है। वे स्वंय स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं को सिनेमा में देखा है। इन चलचित्रों से ऐसी मनोवृत्तियां बन जाती है जो सरलता से पैसा बनाने की इच्छाओं को जाग्रत करके उसकी प्राप्ति के लिए संदिग्ध तरीकों को अपनाकर अपने आप को मुसीबत में डालकर अपराध करने के विचोरों को परिपक्वता प्रदान करती है। **(अय्यर रिपोर्ट)** अश्लील साहित्य बाल मन पर प्रतिकूल व्यवहार डालकर उनकी कामवासनाओं को उत्तेजित करता है जो उनके स्वाभाविक व्यवहारों में परिवर्तन कर देता है और उनमें दिवास्वप्न में खोए रहने की आदत बना कर अपराधी व्यवहार उत्पन्न करते है।

आर्थिक कारण

निर्धनता- परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी होने से भी बालक-बालिकाओं में अपराधी कार्य करने की प्रेरणा जागती है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है कि गरीबी से तंग आकर अनेक किशोर किशोरियों द्वारा नशे के व्यापार और यौन-अपराध जैसे अपराध किये जाते है। गरीबी के कारण घर में परिवार के सदस्यों में अनबन, तकरार, अनुशासनहीनता आदि की प्रबलता देखी जाती है, जो बालकों-बालिकाओं को अपराधी बनने में काफी मदद करती है। **(त्रिपाठी, 2015)** प्रायः निर्धनता के कारण बच्चे प्रांरभ में छोटे-मोटे अपराध करते हैं और बाद में बड़े-बड़े अपराध करना प्रारंभ कर देते हैं।

बाल श्रम- गरीबी न केवल बाल-अपराध को जन्म देते हैं बल्कि वह ऐसी समस्याओं को उत्पन्न करती है जिसके कारण बच्चों को छोटी ही उम्र में कंपनियों, घरों, दुकानों, ऑफिसों, होटलों इत्यादि जगहों पर नौकरी करनी पड़ती है। बाल श्रम में बच्चों का शोषण भी शामिल होता है, शोषण से आशय बच्चों से ऐसे कार्य करवाना जिनके लिए वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं हैं। **(तिवारी, 2017)** जिसके कारण वह शिक्षा से तो वंचित रहते हैं साथ ही साथ उनके लालन पोषण का वातावरणीय माहौल भी उन्हें अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता है और जाने-अनजाने में चोरी, शराबखोरी, जुआबाजी आदि बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी भुखमरी की स्थिति भी बालक को अपराधिक कार्य करने को मजबूर करती है। बाल अपराधी बच्चों पर आधारित अध्ययन में पाया कि आधे से अधिक बच्चों के अपराधी बनने का मुख्य कारण निर्धनता ही था। (**बर्ट**)

पारिवारिक संघर्ष- निर्धनता के कारण माता-पिता सिर्फ रोटी की जुगाड़ तक ही सिमट जाते हैं जिससे वे बालक-बालिकाओं को उपयुक्त स्नेह तथा संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते हैं। साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार के परिवार के सदस्यों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में सघर्ष होते रहते हैं। हमेशा माता-पिता में अनबन सी रहती है, आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से मानसिक क्षोभ होता है उसके कारण लोगों का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और ये सब परिस्थितियां बालक-बालिकाओं में बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं।

अनुपयुक्त व्यवसाय- जब कोई व्यवसाय बच्चों की बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यताओं, अभिरूचि रूचि इत्यादि के अनुरूप् नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में उनके मन में निराशा और कुंठा बैठ जाती है। आक्रमण निराशा की सामान्य प्रतिक्रिया है। व्यक्ति में जितनी अधिक निराशा होती है व्यक्ति उतना ही आक्रमणकारी हो जाते हैं। **(हरलाक)** ऐसी स्थितियां बालकों के मानसिक स्थिति को ठेस पहुंचाती है और अंत में बच्चे अपराधिक कार्य करने को अग्रसर हो जाते हैं ।

मनोवैज्ञानिक कारण

शारीरिक कारण- शारीरिक दोष का अर्थ किसी व्यक्ति में लगडांपन, बौनापन, कुरूपता, सुव्यवस्थित शरीर रचना में कमी, अंधापन, बहरापन आदि से व्यक्ति में हीनता की भावना का संचार करती है। इन दोषों से युक्त बच्चों के साथ जब सामान्य व्यवहार नहीं होता है तो वह स्वयं को उपेक्षित समझते हैं और इसके लिए समाज को दोषी मानते। जिससे उनमे संवेगात्मक व्याकुलता और समाज के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। **(कुमार, 2008)** कभी-कभी इन भावनाओं के कारण उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। वह अपनी उपेक्षा का बदला लेने के लिए आपराधिक कार्यों को करने लगते है। परिणामस्वरूप इस प्रकार के बालक-बालिकाएं अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपराध कर बैठते हैं और वह बाल-अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं।

मानसिक रोग- मानसिक रोग से पीड़ित बालक-बालिकाओं में भी अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है। ऐसे बच्चों में तनाव, विचारशून्यता, एवं अंर्तद्वन्द्ध के शिकार होते है ऐसे बच्चों में प्रेम, स्नेह तथा नियंत्रण का पूर्ण अभाव रहता है। **(गोडार्ड)** ऐसे बच्चे साइकोपैथिक व्यक्तित्व के होते हैं। साइकोपैथिक बालक-बालिकाओं में असामाजिक

व्यवहार, जैसे झगडा, उद्वण्डता , शक्की, आत्म केंद्रीता आदि की भावना अधिक होती है। **(मोदी, 2014)** बदले की भावना से पूर्ण इस प्रकार के बच्चों में आक्रामक और यौन व्यवहार से अंनियत्रित हो जाते है और बाल-अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं।

बौद्धिक दुर्बलता- बौद्धिक रूप से दुर्बल बच्चे अपने को सामान्य बच्चों की तुलना में हीन समझते हैं। वह अपने का हमेशा उपेक्षित समझते हैं एवं नकारात्मकता का उनमें विकास हो जाता है। जो बालक-बालिकाएं बौद्धित रूप से दुर्बल होते हैं उनमे अपराधिक प्रवृत्ति का सरलता से विकास हो जाता है। **ग्ल्यूक और ग्ल्यूक** ने 1000 किशोर अपराधियों के अध्ययन के बाद पाया की उनमें 13 फीसदी किशोरी की बुद्धिलब्धि 70 से कम थी। **मेरिल** ने भी माना कि बालक-बालिकाओं की तुलना में मन्दबुद्धि बच्चों को आसानी से बहकाया जा सकता है।

1.7 बालिकाओं के बाल-अपराध के सामाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल-अपराध के लिये आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा आयु से प्रभावित नहीं होती अतः कुछ समाजशास्त्रीय विद्वान बालक-बालिकाओं द्वारा समाज में प्रकट व्यवहार प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं। **गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण** से एक बाल-अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसीलिए वह इसके द्वारा निषिद्व होता है। इस प्रकार बाल-अपराध में बालक एवं बालिकाओं के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार का जो लोक-कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं , ऐसे कार्यो को करने वाला बाल-अपराधी कहलाता है। आवारागर्दी, भीख मांगना, निरूद्देश्य इधर-उधर घूमना, उदण्डता आदि बाल-अपराधी के लक्षण है। **(राविन्सन)** समाजशास्त्रीयों का कथन है कि अपराध का जन्म दूषित वातावरण तथा गरीबी, उजड़े परिवार, अशिक्षा, अपराधी साथी आदि हैं परंतु मनोवैज्ञानिक किशोर बालक-बालिकाओं के अपराधों का मूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों को मानता है। उसके अनुसार हर बच्चे की कुछ इच्छाएं, आकाक्षाएं और आवश्यकताएं होती है। उन्हे पूरा करने का वह प्रयत्न करता है, उसके इस प्रयास से अनेक बाधाएं आती है। जिन्हे वह जीतने का प्रयत्न करता है। अपने प्रयत्नों के फल से वह या तो संतुष्ट होता है या असंतुष्ट अथवा उदासीन और वह अपने असंतोष को दूर करने का प्रयास करता हैं। असंतोष को दूर करने के समाज द्वारा स्वीकृत ढंग जब असफल हो जाते हैं तब वह ऐसे ढंग अपनाता है जो सफल हो भले ही वह समाज के लिए हानिकारक हो और उसके द्वारा अस्वीकृत ही क्यों न हो। तभी वह अपराधी बन जाता है। चूंकि किशोर आयु के अपराधी बालक-बालिकाएं समाज के ही अंग है और वे समाज में रहकर अपने असामाजिक और गैर-कानूनी कार्यों द्वारा समाज का अहित करते हैं। अतः उनके समाज में रहते हुए अपराधी बनने के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रीयों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं। वे समाजशास्त्रीय जिन्होंने अपराध के अपराधशास्त्रीय ज्ञान में योगदान दिया है से है **मर्टन, फ्रेडरिक, थ्रेशर, क्लिफोर्ड शॉ, एवं हेनरी भीड, जार्ज हर्बर्ट भीड, एल्बर्ट कोहेन, क्लोवार्ड एवं ओहलिन डेविड भाट्जा।** उनके सिद्धांतों द्वारा बाल-अपराध को विस्तृत रूप में समक्षा जा सकता है।

ओतो पोलाफ (1950) का दावा था कि बालिकाएं छिपे हुए अपराध करती है जैसे- जहर देकर हत्या, गर्भपात,बच्चों के प्रति अपराध,यौन अपराध आदि क्योंकि यौन-सामाजिककरण द्वारा अर्जित धोखेबाजी और मक्कारी भरा व्यवहार उन्हें कुशन बना देता है। विविध समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित बालिकाओं के विश्वास और मक्कारी भरे स्वभाव के अलावा पोलाक ने यह भी कहा है कि जैविक कारण जैसे कम शारीरिक बल और साथ ही गर्भाधान व मासिक धर्म जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियां भी बालिकाओं के अपराध के कारणों में सम्मिलित है।

भूमिका सिद्धांत की व्याख्या करते हुए **फ्रांसिस हेडेन्सन, मैरी एण्ड्री, बर्टण्ड** आदि विद्धानों ने कहा है कि बालिकाओं पर अत्यधिक सामाजिक प्रतिबंधों और सघन देखरेख होने के कारण समाजीकरण की चेतना का विकास और स्व-ज्ञान का विकास लड़कों और लड़कियों में काफी भिन्न होता है। लड़कियों को आमतौर पर निरपेक्ष, घरेलू तथा अहिंसात्मक में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि से लड़ने की अनुमति नहीं होती। इसके विपरीत लड़के आक्रामक व महत्वाकांक्षी होते हैं। इस प्रकार लड़कियां हिंसा से बचती हैं और उनमें हिंसात्मक अपराध लूटमार तथा गिरोह युद्ध करने की शक्ति की आवश्यक तकनीकी योग्यता नहीं होती। अधिक से अधिक वे छोट-छोटे या घरेलू अपराधों में उलझ जाती हैं ।

टॉलकाट पार्सन्स (1942) ने भी कहा है कि बालिका अपराधों में कमी होने का कारण यह है कि वयस्क महिलाएं घर पर ही उपलब्ध रहती है जिनको देखकर लड़कियां अपने व्यवहार को साकार बनाती है। लड़के भूमिका-आदर्श की अनुपस्थिति में क्योंकि पिता आमतौर पर घर से बाहर ही रहता है और मां के गुणों के विरोध में अपराधी व्यवहार धारण कर लेते हैं।

केहेन (1955) ने कहा है कि अपराध की उपसंस्कृति जो कि किशोरो की परिस्थिति संबंधी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है ,पुरूषों के स्वभाव का आवश्यक अंग है। लड़कियां चोरी और दंगाफसाद आदि कार्यों द्वारा स्वंय की अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे ऐसा करने में अपनी स्त्रियोचित भूमिका की अपेक्षाओं के विपरीत आचरण करने के भाव से ग्रसित होती हैं।

नव सैद्धांतिक दृष्टिकोण- बलिका अपराध के कारणों में यौन समानता यौन सामाजिककरण के विविध प्रतिमान और पुरूष और स्त्रियों की यौन सामाजिक भूमिकाओं की विशेषताओं में अलगाव की प्रवृत्तियों के प्रचलित समाजशास्त्रीय व्याख्याओं की प्रमुख रूपरेखाओं के विश्लेषण पर आधारित यह सिद्धांत बताता है कि बालिकाओं में अपराधी प्रवृत्तियों का सबसे प्रथम कारक पारिवारिक कुसमायोजन है दूसरी तरह से कहने पर हमारे परिप्रेक्ष्य का मुख्य आधार पारिवारिक संबंधों का स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि पारिवारिक संगठन की संरचनात्मक समस्याओं के रूपों के अध्ययन के द्वारा बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों का परीक्षण परिवार के अंदर अंतवैयक्तिक संबंधों में कुसमायोजन के संदर्भ में किया जा सकता है। परिवार के अंतर्वर्ती तथा बहिर्जनित कारण बालिकाओं के जीवन में उत्तेजना प्रलोभन एवं तनाव पैदा करते हैं। यह उत्तेजनाएं और तनाव, सामाजिक और कानूनी प्रतिमानों से विचलन की आवश्यकता या इच्छा पैदा करते हैं । व्यक्तित्व संरचना अथवा स्वभाव अभिरूचियां, कुण्ठाएं, वचनाएं या तीव्र निहित आवश्यकताओं जैसे-सामाजिक मनोवैज्ञानिक लक्षण कुछ बालिकाओं को इस विचलन से रोकती है किंतु अन्य मामलों में असफलता रहती है। अतः व्यक्तिगत व्यवस्था और पर्यावरण का दबाब जिसमें बालिकाएं कार्य करती है दोनों उनकी अपराधिता की वृद्धि में योगदान

करते है। अतः बालिकायें अपराध में व्यक्तित्व एवं पर्यावरण संबंधी कारकों के निदान में परिवार संरचना (परिवार का प्रकार, आकार, आर्थिक पृष्टभूमि आदि),अंतक्रियात्मक (भाई-बहन, माता-पिता, मित्रो के साथ संबंधो की प्रकृति),वर्ग पृष्टभूमि (निम्न, अध्ययन और उच्च वर्गीय स्थिति),भूमिका आजीविका (रोजगार, घरेलू भूमिका आदि),अभिरूचियां (धर्म भूमिक, निष्पादन के प्रति),अनुभूतियां (अधिकार और कर्तव्य मूल्य, प्रतिमान संबंधी अनुभूति),आवश्यकताएं (स्नेह नियंत्रण, समर्थन आदि),मूल्य (ईमानदारी नैतिकता आदि),अपराधी व्यवहार (अपराध की प्रकृष्टि अपराध संबंधी दक्षता और अपनाई गई प्रयुक्त विधि, दूसरों से प्राप्त सहायता आदि) इन बिंदुओं के विश्लेषण की आवश्यकता है। बालिकाओं द्वारा अपराध की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि में इन कारकों के योगदान का समेकित अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

मर्टन (1938) का अप्रतिमानता/मानकशून्यता सिद्धांत – मानकशुन्यता का यह सिद्धांत मानता है कि जब पर्यावरण के भीतर उपलब्ध संस्थात्मक साधनों और उन लक्ष्यों के जिन्हें व्यक्तियों ने अपने परिवेश में चाहा था बीच में कोई विसंगति रह जाती है तब तनाव या कुंठा पैदा होता है और प्रतिमान टूटते है। परिणामस्वरूप विचलित व्यवहार का जन्म होता है। यही विचलित व्यवहार बाल मन को अपराध की ओर प्रवृत करते हैं।

फ्रैडरिक थ्रेशर (1936) का गिरोह सिद्धांत-समूह अपराध पर केंद्रित है तथा वह **कोहेन व क्लोवार्ड और मिलर** की तरह ही साथियों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। थ्रेशर यह नहीं कहता कि गिरोह अपराध का कारण है बल्कि वह कहता है कि गिरोह बाल-अपराध में सहयोग करता है। उस प्रक्रिया को समझाते हुए जिसमें कोई समूह व्यवहार संबंधी कुछ विशेषताओं को अपनाता है और फिर उन्हे अपने सदस्यों को प्रेषित करता है **थ्रेशर** कहता है कि गिरोह किशोरावस्था की अवधि में निरंतर खेल-समूहों और अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है और फिर अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उस गिरोह में परिवर्तित हो जाता है, जो उनका पर्यावरण और उनका परिवार उन्हें प्रदान नहीं करता है। धीरे-धीरे गिरोह विशिष्ट गुणों का विकास करता है जैसे कार्य करने की विधि अपराधी तकनीकों को प्रचारित करता है, पारस्परिक हितो और अभिरूचियों को उकसाता है, और अपने सदस्य को सुरक्षा प्रदान करता है। **थ्रेशर** ने इस बिंदु पर बल दिया है कि गिरोह की सभी क्रियाएं विचलन नहीं होती तथा गिरोह के सदस्यों का अधिकतर समय सामान्य खेल संबधी क्रियाओं व अन्य किशोर-किशोरियों की क्रियाओं में व्यतीत होता है। इस प्रकार उसका शोध मुख्य रूप से यह कहता है कि पर्यावरण का दबाब अपराधी व्यवहार के लिए उपयुक्त होता है।

शॉ और मैके (1981) का सांस्कृतिक पारगमन का सिद्धांत- यह सिद्धांत मानता है कि अपराध व्यक्तिगत तथा समूह सम्पर्क के द्वारा संप्रेषित किया जाता है तथा प्रभावी सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों की कमी देश के कुछ बड़े नगरों में अपराध की ऊंची दर में सहायक होती है। अपराध क्षेत्र निम्न आय तथा भौतिक रूप से अवांछित क्षेत्र होते हैं जिन के सदस्य आर्थिक उपेक्षाओं का शिकार होते हैं। इन क्षेत्रों में बालक-बालिकाएं आवश्यक रूप से असंगठित, कुसमायोजित या असामाजिक नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परम्पराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है। यदि यह प्रभाव न होता तो वे अपराध से अलग अन्य क्रियाओं से संतुष्टि प्राप्त करते। **शॉ और मैके** मानते है कि अन्य कारक भी कुछ युवकों को अपराधी कृत्यों में संलग्न होने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन वे अनुभव करते है कि समुदाय में मौजूद आर्थिक व सामाजिक कारकों के सामने वे गौण है। अपराध का सीखना सदरलैण्ड के सिद्धांत में भी संदर्भित है।

जार्ज हरबर्ट मीड (1919) का स्व का सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत कहता है कि कुछ सीमित संख्या में ही व्यक्ति अपराधी पहचान धारण करते है जबकि अधिक संख्या में लोग कानून-पालन ही करते है। वह कहता है कि अपराधी बनने तथा अपराधी पहचान धारण करने में कानून उल्लंघन करने वालों की केवल संगति करने से भी कुछ अधिक सम्मिलित होता है। इस प्रकार के सम्पर्क व्यक्ति के लिए सार्थक होने चाहिए और स्व तथा भूमिका की उन अवधारणाओं के समर्थक होने चाहिए जिनके प्रति वह समर्पित होना चाहता है।

एलबर्ट कोहेन (1955) का श्रमिक वर्ग तथा मध्यवर्गीय मानदण्य सिद्धांत मानता है कि अपराध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की घटना है। कोहेन का मानना है कि श्रमिक वर्ग का लड़का अथवा लड़की जब कभी मध्यवर्गीय जगत में जाता है तो वह स्वयं को स्थिति संस्तरण में सबसे नीचे पाता है। वह मध्यवर्गीय मूल्यों को एक स्तर तक मानते हैं क्योंकि या तो वह मध्य वर्गीय व्यक्तियों के अच्छे विचारों का सम्मान करता है या कुछ सीमा तक उसके स्वयं को मध्य वर्गीय मानको में अश्यांतरित कर लिया है इसीलिए उसके समक्ष समायोजन की समस्या जो बच्चे प्राप्त कर सकते है प्रदान करके समायोजन की समस्या (अर्थात स्थिति समस्या) हल करती है। अपनी सफलता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष का सामना करने के लिए व्यवहार कुशल न होने के कारण श्रमिक के बच्चे कुंठा का अनुभव करते हैं। जिसके कारण वे मध्य वर्गीय मूल्यों तथा मानको के विरूद्ध प्रतिक्रिया करते है और उनके अनुपयोगी, विकृत और निषेधात्मक मूल्यों को अपनाते है। इस प्रकार उनका यह विरोधी स्वभाव समूह या गिरोह की अपराधीक्रिया को मध्यवर्गीय संस्थाओं के विरूद्ध वैधता और समर्थन प्रदान करती है।

क्लोवार्ड और ओहलित (1960) का सफल लक्ष्यों और अवसर संरचना का सिद्धांत **सदरलैण्ड, मर्टन और भीड** के सिद्धांत की कमियों को बताता है और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तनाव व वैद्य विकल्पों के अभाव में उपलब्ध विकल्पों के प्रकार की व्यवस्था करता है। अपने लक्ष्यों को वैद्य तरीकों से प्राप्त करने में बाधाओं और अपनी आकांक्षाओं को निम्न स्तर तक लाने में असमर्थता के कारण, निम्न वर्गीय युवक गहन कुंठाओं का अनुभव करते हैं जो उन्हें अवैध विकल्पों और अवज्ञा की खोज में व्यस्त कर देता है। **क्लोवार्ड और ओहलिन** के सिद्धांत का परीक्षण और अनुभाविक मूल्यांकन कठिन है।

वाल्टन मिलर (1958) का निम्नवर्गीय बालक और निम्नवर्गीय संरचना सिद्धांत अपराध उप-संस्कृति को अस्वीकार करता है और निम्नवर्गीय संस्कृति की बात करता है जो प्रवास, प्रव्रजन और गतिशीलता के परिणामस्वरूप उभरती है। वे व्यक्ति जो इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पिछड़ जाते है वे निम्न वर्ग के सदस्य होते हैं। वे एक अलग प्रकार के व्यवहार को विकसित कर लेते है (जो आवश्यक रूप से किसी अन्य वर्ग के विरूद्ध नहीं होता) जो विशिष्ट रूप से कठोरता चुस्ती, उत्तेजना, भाग्य, और स्वायत्तता जैसे निम्नवर्गीय गुणों पर आधारित होता है। गलियों का समूह निम्नवर्गीय किशोर लड़कों को कठोर बनने और पुरूषोचित क्रियाओं में व्यस्त होने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार उसकी अनेक क्रियाएं एक

सामर्थ्यवान पुरूष बनने की इच्छा के इर्द-गिर्द घूमती हैं। मिलर के सिद्धांत की आलोचना यह है कि आज जन-संचार के साथ यह विश्वास करना कठिन है कि विशिष्ट निम्नवर्गीय संस्कृति जैसा कि **मिलर** ने वर्णन किया है ऐसे शुद्ध रूप में रह सकती है।

डेविड माट्जा (1966) का अपराध और बहाव सिद्धांत प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय के इस नियत्तवादी दिशामान को अस्वीकार करता है कि अपराध लगभग पूर्णरूपेण संवेगात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है **माट्जा** का मानना है कि व्यक्ति न तो पूर्णरूपेण स्वतंत्र है और न ही वह पूर्णरूपेण नियत्रिंत है बल्कि वह स्वतंत्रता और नियंत्रण के कही बीच में है। इसीलिये युवक-युवतियां अपराधी तथा परम्परात्मक क्रिया के बीच बहते रहते है। यद्यपि उनकी अंधिकाश क्रियाएं कानून के अनुरूप होती है, फिर भी यदा-कदा वह अपराध की ओर बह जाता है। क्योंकि सामान्य परम्परात्मक-नियत्रण जो आमतौर पर अपराधी व्यवहार में मौजूद होते हैं बहाव की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निष्प्रभावी हो जाते है। जब वह अपराध में लिप्त हो जाता है तो फिर वह परम्परागत्मकता की ओर वापस बहता है। इस प्रकार माट्जा ने अपराध की इच्छा पर जोर दिया है। यही इच्छा यह बताती है कि कुछ युवक अपराधी व्यवहार करना कार्य चुनते है। वह यह भी बताता है कि अधिकतर युवक परम्परा और अपराध के बीच निरंतरता की स्थिति में रहते हैं। अपराध के प्रति पूर्ण समर्पण आमतौर पर कम ही होता है।

यदि हम बाल-अपराध को संबंधित सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि सभी समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण, सामाजिक संरचना और सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया है। इसके विरूद्ध मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और उसमें प्रेणात्मक प्रतिमानों को ही अपराध में महत्वपूर्ण मानते है।

1.8 शैक्षिक आकांक्षा का अर्थ एवं अवधारणा

सभी प्राणियों में विभिन्नता के कारण उनकी आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के साथ समायोजन के लिए अपनी आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। परन्तु जब उसके सामंजस्य से भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसकी अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति की इच्छा प्रबल होती जाती है और वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक प्रयास करता है। प्रायः देखा गया है कि बाल्यकाल में आकांक्षा का स्तर उच्च होता है वस्तुतः किसी इच्छा अथवा कार्य की पूर्ति करने की इच्छा मनुष्य की आकांक्षा कहलाती है।

जार्ज, (2007)'' शैक्षिक आकांक्षा शब्द के लगातार प्रयोग करने के बाबजूद प्रचलित समय में अपने लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में छात्रों के लिये उपयोग किया जाता है। परंतु आपसी मतभेद के चलते अभी तक कोई एक या सार्वभौमिक परिभाषा परिभाषित नहीं है।''

विग्लम और कोबे 1996 – "प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की एक निर्धारित सीमा होती है और व्यक्ति उस सीमा तक पहुँचने के लिए गंभीर एवं पूर्ण शक्ति के साथ प्रयास करता है। आकांक्षाओं को आकार देने में विशेष रूप से माता-

पिता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वे अपने बच्चों को सीखने के लिए अवसरों का प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करते है।''

गर्ग, कॉप्पी, लंबी, उराजनिक (2002)- "मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किए गए कार्यों की प्रबलता में ही आकांक्षा का स्तर निहित होता है। किसी की आवश्यकता की पूर्ति इच्छा की अधिकता अथवा न्यूनता की आकांक्षा इच्छा स्तर कहलती है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है। शिक्षा की प्राप्ति की इच्छा और उसके लिए किये जाने वाले प्रयासों को उसकी शैक्षिक आकांक्षा कहते है।'' शैक्षिक आकांक्षा स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आकांक्षा का महत्वाकांक्षा के स्तर को दर्शाती है। किसी विद्यार्थी के अंर्तमन में भविष्य की शिक्षा की प्राप्ति के द्वन्द एवं उसकी प्राप्ति की इच्छा की प्रबलता ही उसकी शैक्षिक आकांक्षा होती है। इस संबंध में छात्रों के वर्तमान और भविष्य के दृष्टिकोण से संबंधित उनके शैक्षिक विचारों और उन विचारों को मूर्तरूप प्रदान करने के प्रयास उसकी शैक्षिक आकांक्षा के अंतर्गत आते है।

जैमनन और हावेल (2004)- शैक्षिक आकांक्षा को अकादमिक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा और प्रयासों की प्रबलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केंद्रित आचार-व्यवहार के साथ उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा का होना आवश्यक होता है। शिक्षा को जीवन की तैयारी के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि छात्र के जीवन में उसकी रूचि और इच्छाए उसकी सफलता और विफलता का निर्धारण करती है। निःसंदेह शैक्षिक आकांक्षा आज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण अवयव है। शैक्षिक आकांक्षा संज्ञानात्मक प्रकार से अभिप्रेरणा है क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य करने के अनुमान में तथा अपने स्वयं के उपलब्धि स्तर पर सफलता एवं असफलता के अनुभव से सन्निहित हो जाता है।

अधिगम के लिये निर्धारित लक्ष्य पर छात्रों की शैक्षिक आकंक्षा का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से सफलता वास्तविक निष्पादन की अपेक्षा बहुधा छात्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य या प्रत्यारण पर निर्भर होती है। कोई भी विद्यार्थी आकांक्षा स्तर को उच्च करके अपनी क्षमताओं को चुनौती देता हुआ भविष्य में सफलता की प्रत्याशा को बढ़ा सकता है

1.9 भविष्य निर्माण में शैक्षिक आकांक्षा की आवश्यकता

शैक्षिक आकांक्षा किसी भी छात्र या छात्रा के जीवन लक्ष्यों से सीधी संबंधित है। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रबल इच्छा और उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों की गंभीरता उसके लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती है। **ब्रेनी, (1987) के अनुसार** "लक्ष्योंन्मुख व्यवहार की प्राप्ति के लिए मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर कार्य ही आकांक्षा है।" शैक्षिक आकांक्षा पर आयु, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक पृष्टभूमि आदि का प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति के भविष्य की सफलता एवं असफलताओं में परिलक्षित होता है। शैक्षिक आकांक्षा छात्र-छात्राओं को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन करके अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। स्थिति प्राप्ति का समाजिक सिद्धांत जिसे **डोमेन मॉडल** के नाम से जाना जाता है मानता है कि शैक्षिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए उसकी शैक्षिक आकांक्षाएं किसी बालक-बालिकाआकों को प्रेरित करते है।

आधुनिकीकरण तथा भौतिकता के इस युग में स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सोच और प्रत्याशा भी बदल रही है जिससे उनकी शैक्षिक आकांक्षा में भी वृद्धि व परिवर्तन होना शुरू हुआ है। **हरलॉक केअनुसार** "आकांक्षा का अर्थ अपने आपसे या वर्तमान स्थिति से अधिक ऊँचा उठाने की इच्छा या प्रयास है |" आधुनिकता के कारण शैक्षिक आकांक्षा में भी वृद्धि व परिवर्तन होना शुरू हुआ है| आधुनिकता व वैज्ञानिकता के मूल्य परम्परागत मूल्यों को साथ लेने लगे है। क्योंकि उन्हें प्राचीन मूल्य कहकर प्रत्यास्थापित किया जाता है जिससे जनरेशन गैप करार दिया जा रहा है जिससे परम्परागत मूल्यों की क्षति हो रही है और नैतिकता तथा मानवता का लोप होता जा रहा है। **हरियाणा** के एक अध्ययन में पाया गया है कि शैक्षिक उपलब्धि स्वयं की अवधारणा और आकांक्षा के स्तर से प्रभावित होती है।

कुमार कृष्ण, (2005) बाल-अपराधी बालिकाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए तो उनकी शैक्षिक आकांक्षा उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती नजर आती है। शिक्षा के माध्यम से वे उन सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक, शैक्षिक परिस्थितियों का समाप्त करना चाहती है जिसके कारण उन्हे अपराध करने कड़े। सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध अधिकांश किशोरियां शिक्षा को भविष्य निर्माण का आधार मानती है **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़े** दर्शाते है कि बाल-अपराध में संलिप्त किशोरियों को उचित शैक्षिक परिवेश न मिल पाने की वजह से उनका शैक्षिक विकास प्रभावित हुआ और उनका भविष्य अपराध की ओर उन्मुख हो गया। **मनोवैज्ञानिक बिल और क्राकेट का मानना** है कि शैक्षिण आकांक्षा का उच्चस्तर भविष्य के लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों एवं व्यवसाय गत कौशल प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। **शेफर और मिसी (2009)"** आकांक्षा लोगों द्वारा अपने जीवन लक्ष्यों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कल की कल्पना करते है। इसके दो पक्ष होते है सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति स्वयं के प्रति हीन भावना रखते है वही सकारात्मक आकांक्षा वाले व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों के प्रति आशापूर्ण भाव रखते हैं |"

वस्तुतः जब व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहता है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। बाल-अपराधी किशोरियों के साथ भी यही होता है और वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती है। इस प्रकार उनकी शैक्षिक आकांक्षाएं दमित हो जाती है परंतु उन्हें उनकी रूचि एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के अवसर प्राप्त होते है तब उनकी दमित शैक्षिक आकांक्षा उन्हें समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

1.10 बाल अपराधी किशोरियों के प्रति समाज का दृष्टिकोणः स्थिति एवं आवश्यकता किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण समाज और पारिवारिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती है। वही मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे के अंदर अपराधी प्रवृत्ति का बीज उसके गर्भस्थ जीवन के दौरान पनपने लगता है। जब उसके माता-पिता उग्र, हिंसक एवं अनैतिक जीवन बिताते है। वर्तमान में बाल अपराध में दोषी पायी गयी किशोरियों के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण कुछ इसी प्रकार का है। खुद को सभ्य समाज का घटक मानने वाले लोग इन लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच रखते है। उनका मानना है कि अपराध करना उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस संदर्भ में बाल अपराध के अन्वेषक **हीली** का शोध अध्ययन कहता है कि बाल अपराध के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक माता-पिता का उसके गर्भस्थ काल के दौरान का चरित्र होता है।

अपराध सें संलिप्त पायी जाने वाली किशोरियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण संकीर्ण है। समाज उसकी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर उसके अपराध को प्रमुखता प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं अपने अपराध की सजा पूर्ण करने के बाद जब ये लड़कियां पढ़ना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं तो समाज उन्हे अलग-थलग कर देता है। इन लड़कियों के प्रति समाज की धारणा नकारात्मक और असहयोगात्मक हो जाती है। जिसके कारण परिस्थितिवश अपराध करने वाली लड़की पेशेवर अपराधी बन जाती है।

बाल अपराध के प्रति समाजशास्त्रियों का मत है कि कोई भी लड़का अथवा लड़की प्राकृतिक व आनुवांशिक रूप से अपराधी पैदा नहीं होता स्थिति उसे अपराध की ओर ले जाती है। **शोध अध्ययन और नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकडे (2014)** बताते है कि गरीबी और अशिक्षा के चलते अधिकांश लड़कियां अपराध की दुनिया में आ जाती हैं। इसके अलावा तमाम लड़कियां सभ्य कहे जाने वाले समाज के अनैतिक आचरण व दुर्व्यवहार का शिकार होकर अपराध कर बैठती हैं। वहीं कुछ षडयंत्र के तहत फंसा दी जाती हैं। समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण एवं गैर जिम्मेदार व्यवहार किशोरियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समाज का मामना है कि अपराध करने वाली लड़कियां उनके सामाजिक तंत्र को दूषित कर देगी। अगर वे उनके बीच में रहेंगी तो उनके परिवार के बच्चे बिगड़ जायेगें और वे भी गलत कार्यो में संलग्न हो जायेंगे। साथ ही उनका मानना है कि इस प्रकार भी लड़कियां पुनः अपराध करेगी और उन्हें नुकसान पहुंचायेगी। जबकि वह भूल जाते है कि बाल अपराधों के लिए समाज का वह संम्पूर्ण ढांचा ही उत्तरदायी है, जिसमें इन बच्चों का व्यक्तित्व ढलता है। यदि समाज इन अपराधी किशोरियों के प्रति साहनुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करे तो ये किशोरियां रचनात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त होकर समाज के लिए उपयोगी बन सकती है। जब बचपन से ही ये लड़कियां रोटी, कपडा, मकान जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए असीमित संघर्ष करती है और समाज उनका साथ नहीं देता है तो उनका संघर्ष अपराध की ओर उन्मुख होने लगता है। वह अपनी भूख मिटाने के लिए लाचार मां-बाप की दवाई के लिए, तन पर कपड़े के लिए अपराध करने लगती हैं। यदि इसी समय इन लड़कियों के परिवारों की समाज सहायता करने लगे और लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करे तो नशा, तस्करी, चोरी, हेरा-फेरी, देह व्यापार जैसे अपराधों की ओर जाने से इन किशोरियों को रोका जा सकता है परंतु होता इसके विपरीत है। समाज उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहता है और उसे गलत कार्यो की ओर प्रवृत्त कर देता है।

बाल अपराधों में किशोरियों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए संवेदनाशील समाज की आवश्यकता है। लोगों में सामाजिक सरोकार की भावना, ऐसे परिवारों के प्रति सकारात्मक सोच एवं सहयोगात्मक व्यवहार जरूरी है। जब तक समाज भूख, गरीबी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर संवेदनशील नहीं बनेगा और खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्धारण नहीं करेगा तब तक अपराधी किशोरियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होगा और न ही बाल अपराध की संख्या में गिरावट आयेगी। अतः समाज को चाहिए कि एक ऐसे तंत्र का निर्माण करें जिसमें हर लड़की सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। आज समाज को शिक्षा में चरित्र निर्माण की कमी को दूर करने, आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामूहिक प्रयास करने, समाज में साधनों की असमानता का अंतर न्यून करके और अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्धारण करने की आवश्यकता है। जिससे बाल अपराधी किशोरियों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके।

1.11 समस्या कथन

प्रस्तुत शोध का विषय – **"बाल अपराध किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन है"** उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले पर आधारित यह एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसके अंतर्गत बाल अपराधी किशोरियों के अपराधी बनने के कारणों एवं शिक्षा को लेकर उनकी आकांक्षाओं को जानने समझने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन बाल अपराधी बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन स्तर में सुधार करने वाले कार्यक्रमों को जानने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत किशोरियों की शिक्षा के प्रति रूचि को ज्ञात करके उनके सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वरुप की पहचान की गई। बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को सामने लाने का प्रयास कर संप्रेक्षण गृह में संचालित कार्यक्रमों में सुधार में लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि यह बाल अपराधी किशोरियों के शैक्षिक उत्थान के लिए संचालित कार्यक्रम बनाने के सुझाव भी प्रेषित करेगा|

1.12 शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषा

1.12.1. बाल अपराध- बाल अपराध का साधारण अर्थ किसी निर्धारित उम्र तक के बच्चों द्वारा अपराधिक कानून का उलंघन माना जाता हैं। जब किसी बच्चे द्वारा किसी अपराधिक कानून का उलंघन किया जाता हैं तब उसे बाल-अपराध कहा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 14-18 आयुवर्ग वाले बच्चो को सम्मिलित किया जाता हैं|

1.12.2. किशोरियां- किशोरियों से तात्पर्य उन लड़कियों से जो 14-18 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। जो राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपराध के किसी मामले में निरुद्ध है|

1.12.3. शैक्षिक आकांक्षा- समाज में जब कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहता है या उसकी इच्छा अनुसार उसे शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उसकी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा दमित हो जाती है। किसी व्यक्ति की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को ही उसकी शैक्षिक आकांक्षा कहा जाता है, यदि किसी कारणवश उस व्यक्ति की शैक्षिक आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती है तो वह कुंठा और कुसामायोजन की स्थिति से जूझने लगता है जिसका उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है|

1.13 शोध का लक्ष्य

प्रस्तुत शोध बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना है |

शोध उद्देश्य

1 – किशोरियों के अपराधी बनने के कारणों का अध्ययन करना |

2 – बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर का अध्ययन करना |

3 – बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना |

4 – शैक्षिक आकांक्षा के विभिन्न आयामों के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण के कारणों का अध्ययन करना |

5 – संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों के लिए उनकी रूचि एवं जीवन की आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करना |

1.14 शोध प्रश्न

1 - किशोरियों के अपराध की ओर उन्मुख होने के विभिन्न कारक कौन से होते हैं ?

2 - उच्च शैक्षिक आकांक्षा स्तर का किशोरियों की अपराधिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता हैं ?

3 - संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों के लिए संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का स्वरूप क्या अपराधी किशोरियों के अनुरूप हैं ?

4 - संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों के संचालित शैक्षिक कार्यक्रम क्या उनमें अपराध की प्रवृत्ति को कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं ?

5- भिन्न-भिन्न शैक्षिक आकांक्षा स्तर की अपराधी किशोरियों की शिक्षा के प्रति क्या भिन्न-भिन्न रुचियाँ हैं ?

6 - क्या अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा की प्राप्ति में समाज,परिवार,परिवेश और उनकी आर्थिक स्थितियां व्यवधान उत्पन्न करती हैं ?

1.15 परिकल्पना

H_{03}: बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं हैं |

1.16 शोध का महत्व

बाल-अपराध किसी भी देश, राष्ट्र, समाज के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने मुहँ बाये खड़ी हैं। किसी भी देश की आधारशिला उसकी नवयुवा पीढ़ी पर निर्भर करती है जो उस देश के नवनिर्माण में और उसके विभिन्न क्षेत्रो में विकास का पैमाना होते है। आज औद्योगिककरण एवं नगरीकरण के चलते बाल-अपराध की समस्या समाज में विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। देश में बाल-अपराध की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन घटने की वजह बढ़ती ही जा रही हैं। बाल सुधार के रूप में चलाये जा रहे कार्यक्रम इस दिशा में प्रभावी रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय में बाल अपराध आज हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़ा हैं। हमें इस समस्या पर गंभीर रूप से सोचने एवं समझने की आवश्यकता हैं जिससे इस समाज की युवा पीढ़ी को नई दिशा दिखाई जा सके |

आज शिक्षा,बेरोजगारी,बीमारी,गरीबी,आदि से जूझती हमारी युवा पीढ़ी समाज विरोधी कार्य करने की ओर बढ़ रही हैं। उचित सामाजिक परिवेश न मिलने, परिवार की निम्न आर्थिक स्थितियां, शिक्षा के समान अवसर की अनुपलब्धता और समाज में शोषण का शिकार होने के कारण इस वर्ग से आने वाली बालिकायें स्वयं को उपेक्षित महसूस करती हैं और अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं। बाल-अपराध की समस्या को समझकर उनके उपचार करने की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हैं। बाल-अपराधी बालिकाओं को समझने की दृष्टि से उनके साथ सहानूभुतिपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया जाये और उनकी रूचि के अनुरूप शिक्षा,व्यवसायिक शिक्षा, संवेगों पर नियंत्रण की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श की शिक्षा प्रदान की जाये जिससे अपने आप को उपेक्षित मानने वाली बालिकायें समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके |

हम सभी जानते हैं कि शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। परन्तु जब यह शिक्षा सभी को उनकी क्षमता और रूचि के अनुसार सुलभ नहीं होगी। तब तक इसके द्वारा शिक्षित नागरिक तो तैयार किये जा सकते हैं परन्तु यह जीवन जीने के आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं कर सकती हैं। यह अध्ययन बाल-अपराधी बालिकाओं की दमित शिक्षा प्राप्ति की रूचि और उनके कारण उनमें बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति को सामने लाने का प्रयास करेगा। इस दृष्टि से यह शोध और उनके कारण एवं उनमें बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति को सामने लाने का प्रयास करेगा। इस शोध दृष्टि से यह शोध और महत्वपूर्ण हो जाता है। संप्रेक्षण गृहों में निरुद्ध किशोरियों की शिक्षा एवं उनके लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों का इस अध्यनन के माध्यम से समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया। जिससें उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को ज्ञात किया जा सके और इसके आधार पर उनके लिए संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का मुल्यांकन एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप परिमार्जन किया जा सके |

यह अध्यनन अपराधी बलिकाओं को उनकी शैक्षिक आकांक्षा को समझकर उन्हें शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में व्यवसायिक कार्यक्रमों का समावेश करने और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें अपराध जगत से बाहर निकालने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। अतः इस अध्यनन से प्राप्त निष्कर्ष और सुझावों को अमल में लाकर उनके जीवन को सुधारा जा सकता हैं |

1.17 शोध का औचित्य

समाज में लड़कियों के साथ होने वाले असमान व्यवहारों, दूषित पारिवारिक वातावरण, अशिक्षा का आभाव, निम्न आर्थिक स्थितियां, पुरुष प्रधान समाज में उनके विचारों को प्रमुख स्थान न मिलनें, लड़कियों के शारीरिक एवं यौन-शोषण और स्त्री विरोधी सामाजिक संरचना के चलते लड़कियों में किशोर उम्र में ही अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं। **(वैशाली, 2017)** मनोवैज्ञानिक उपायों पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि भारत में साल 2012 में जहां 27 हजार 936 किशोर अपराधिक गतिविधियों में शामिल थे वही साल 2013 में ये संख्या बढ़कर 31हजार 725 तक पहुचं गई। **(सिंह, 2017)** इस बढ़ती हुई संख्या की वृद्धि से ऐसा कही से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा हैं कि सरकार तथा कानून द्वारा बनाये जा रहे प्रस्ताव इस संख्या में बाल अपराध की संख्या को कम करने में कारगार साबित हो पा रहे हैं। भारत में किशोर युवाओं द्वारा अंजाम दिए जाने वाले संगीन अपराधों के ग्राफ में तेजी के साथ बढ़ोत्तरी दृष्टिगोचर हुई हैं। भारत में अनिवार्य शिक्षा अधिकार एक्ट लागू होने के बावजूद तक़रीबन 1 करोड़ बाल-मजदूर है जो कि अत्यंत दुष्कर और विषम हालत में कामकाज करते हैं। ये लाखों बच्चे-बच्चियां बाल-मजदूरी करने भीख मांगने तस्करी करने और वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश कर दिय जाते हैं। यह शोध अध्ययन संप्रेक्षण गृह में बालिकाओं की शैक्षिक आकांक्षा को समझकर उनको सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। अधिकांश शोध अध्ययनों में लड़कियों की शैक्षिक स्थितियों को जाना गया हैं। सम्प्रेक्षण गृह में बालिकाओं को प्रदान की जा रही शिक्षा उन्हें रोजगार दिलाने अथवा स्वरोजगार को उपलब्ध करवाने में विफल रही हैं। जिसका प्रमुख कारण वहां दी जा रही शिक्षा में लड़कियों की रूचि का न होना और शिक्षा के माध्यम से समुचित जीवन मापन हेतु धनोपार्जन न होना प्रतीत होता हैं। **(शंकर, 2011)** के अध्ययन से निष्कर्ष बताते हैं कि 41.5 किशोरियों का मानना हैं की यदि उनकी वर्तमान खराब स्थिति में तत्काल सुधार करना हैं तो उनकी शिक्षा की व्यवस्थित व्यवस्था करनी होगी |

1.18 शोध का सीमांकन (Delimitation of the study)

- प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध बाल-अपराधी किशोरियों तक सीमित रहेगा |
- अध्ययन किशोरियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने का प्रयास करेगा |
- अध्ययन अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा के मापन तक सीमित होगा
- इस अध्ययन में 14 अपराधी किशोरियों को शामिल किया जायगा |
- अध्ययन में अपराधी किशोरियों के लिए संचालित शैक्षिक कार्यकमों को समझने का प्रयास किया जाएगा |

अध्याय-पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव

प्रत्येक राष्ट्र का विकास उसकी आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है | आज के बालक बालिकाएँ कल के कर्णधार बनेगें | उनको समुचित देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, परिवेश, सम्मान, आदि प्रदान कर उन्हे राष्ट्र के सक्षम और विवेक शील नागरिक बनाने की ज़िम्मेदारी राष्ट्र की है | **(सिंह एवं प्रसाद ,2007)** परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ समाज भी विकसित और आधुनिक हो रहा हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक सुविधाएं, विलासिता और आर्थिक प्रगति हमारी प्राथमिकता हो गयी हैं | जिसकी वजह से आज किशोर पीढ़ी अधिक धनोपार्जन और विलासिता पूर्ण जीवन को लेकर अधिक विचलित रहती हैं और इसकी प्राप्ति हेतु समाज और कानून विरोधी कृत्य करने की ओर उन्मुख हो जाती है | किशोर पीढ़ी में बढ़ती यह प्रवृत्ति तात्कालिक समाज के विकास को प्रभावित करती है | बाल अपराध संसार के समस्त देशों की एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है | लेकिन इस समस्या के कारक समान न होकर अलग है और उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न है | संसार के लगभग सभी उन्नतशील तथा विकसित देशों में अपराधी व्यवहार के अंतर्गत बाल अपराध या किशोर अपराध की समस्या अधिक जटिल होती जा रही है | यह प्रवृत्ति विशेष रूप से बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक विस्तार ले रही है | बाल अपराध की समस्या कृषि प्रधान तथा अल्पविकसित देशों की अपेक्षा उन देशों मे ज्यादा विकराल और गंभीर हो गयी है, जो औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर गए हैं"**(सिंह एवं प्रसाद**

इनके अतिरिक्त बाल जीवन में बढ़ती जा रही हिंसा, क्रूरता, गुण्डागर्दी, नशेबाजी, आवारापन आदि ने बाल मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं जिसके चलते बच्चों में अपराध की स्वाभाविक प्रवृत्ति पनप रही हैं जो कि एक गम्भीर समस्या है | जब एक किशोर या किशोरी अपराध करते है, तो उसके लिए सुधार कार्यक्रम बनाया जाता है, जो उसको परामर्श से मदद करने और जो उसे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सके। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में किशोर-किशोरियों के पुनर्वास के लिए संप्रेक्षण गृहों में जो शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है क्या वास्तव में वह उनको सुधार की ओर ले जा रहे है? अपराधी किशोर-किशोरियों के लिए कल्याण कानूनों की उपस्थिति के बावजूद, देश भर में बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है | **(मतलूब,2013)** किशोरों और किशोरियों को उनके भविष्य को बेहतर बनाने के क्रम में पुनर्वास केंद्र के लिए भेजा जाता है। विशेष देखभाल और संरक्षण के लिए इन बच्चों को इन केन्द्रों पर भेजा जाता हैं | उनमें गुणात्मक सुधार और उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जीवन यापन करने के उद्देश्य के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गये हैं | एक प्रासंगिक सवाल यहां उठता कि पुनर्वास केंद्र सबसे अच्छे रूप में अपनी भूमिका निभा रही है या नहीं ? बाल सुधार गृह की उपस्थिति के बावजूद पिछले एक दशक में भारत में बाल अपराधियों की दर में एक बड़ी बढ़ोत्तरी देखी गई है। भारत में नगरीकरण की दर दिन दुगुनी रात चौगनी की गति से बढ़ रही है, जिससे गाँव कस्बों में, कस्बे शहरों में और शहर महानगरों में तब्दील हो रहे है | जिनमें बाहर से आने वाले श्रमिक वर्ग झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है | इन स्थानो पर न तो पीने का शुद्ध पानी है और न ही शिक्षा की समुचित

व्यवस्था | यहाँ नशे का कारोबार पनपता हैं | जिसका दुष्प्रभाव यहाँ रहने वाले बच्चों पर नकारात्मक ही पड़ता है | बच्चे जब अपराध की ओर उन्मुख होते है तो उन्हे बाल अपराधी कहा जाता हैं अर्थात जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराधी या बाल अपराधी कहा जाता हैं | **(हेकरवाल)** आयु के आधार पर पर 8-16 आयुवर्ग के किशोरों एवं 8-18 आयुवर्ग की किशोरियों को कानून के विरुद्ध कार्य करने पर बाल अपराधी माना जाता है | अपराधी प्रवृत्ति वाली किशोरियां समाज के गरीब, अशिक्षित एवं अपराध जगत से ताल्लुक रखने वाले परिवारों से आती है या फिर उनके साथ समाज उनके साथ अन्याय किया होता है जिसके चलते वे अपराध को अपना लेती है |

5.1 समस्या कथन

बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन |

5.2 शोध उद्देश्य

1 – किशोरियों के अपराधी बनने के कारणों का अध्ययन करना |

2 – बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा स्तर का अध्ययन करना |

3 – बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना |

4 – शैक्षिक आकांक्षा के विभिन्न आयामो के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण के कारणों का अध्ययन करना |

5 – संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों के लिए उनकी रूचि एवं जीवन की आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार करना |

5.3 परिकल्पना

H03 : बाल-अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध नहीं हैं |

5.4 न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में शोध के उद्देश्य, शोधार्थी की पहुचं समय,श्रम,व्यय,एवं प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बाराबंकी में स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों को उद्देश्यपूर्ण चयन विधि द्वारा 14 न्यादर्श का चयन किया गया |

5.5 प्रयुक्त उपकरण

इस अध्ययन के अनुरूप शोधार्थी ने अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए उपकरण के रूप में डॉ.यस्मिन खानी खान द्वारा निर्मित शैक्षिक आकांक्षा मापनी, साक्षात्कार, अवलोकन का प्रयोग किया |

5.6 अध्ययन के मुख्य परिणाम

1-किशोरियों के अपराधी बनाने के पीछे विभिन्न कारण छिपे होते हैं पारिवारिक तनाव, कुंठा, ईर्ष्या, घरेलू समस्यायें, व्यक्तिगत समस्याये, सही दिशा निर्देशन का आभाव, अच्छे-बुरे की समझ न होना, सवेगों पर नियत्रण न होना, गरीबी, अशिक्षा, षड्यंत्र, घृणा, असामायोजन, रुढ़िवादी विचार धारायें, बच्चों के विचारो को स्थान न मिलना, हिंसक प्रवत्ति, परिवार का अपने बच्चों पर ध्यान न देना, माता-पिता के स्नेह से वंचित, दुर्व्यवहार, यौन-शोषण, परिवार की आर्थिक अपराधिक पृष्टभूमि, अनैतिक आचरण,दूषित सामाजिक परिवेश, समाज द्वारा तिरस्कार, बाल-विवाह, मीडिया का प्रभाव, विपरीत लिंगीय आकर्षण, गलत संगत इन सारे कारणों का प्रभाव बच्चों को बाल अपराध बनने की ओर उन्मुख करते हैं |

2-बाल अपराधी किशोरियों के प्राप्तांको की संख्या 15 से 22 के बीच हैं | अतः उपकरण के फलांकन तालिका के आधार पर यह कहा जायेगा कि उनमें शैक्षिक आकांक्षा औसत हैं |

3-बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया |

4- पारिवारिक सहयोग से प्राप्त एकांशो में सकारात्मकता को प्रदर्शित करते एकांश 70.41 है | जिससे ज्ञात होता है कि किशोरियां स्वयं द्वारा किए गए प्रयासों और असफलता के दौर में पारिवारिक सहयोग की स्थिति से संतुष्ट हैं | वही 29.59 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिउत्तर यह प्रदर्शित करते हैं कि ऐसी भी किशोरियां है जिनकी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा, प्रयासों आदि को परिवार का सहयोग नहीं मिल प रहा है | साथ ही सफलता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों एवं आवश्यक परिश्रम हेतु प्रेरणा का भी अभाव हैं | जिसके कारण उनमें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा और उनके माध्यम से सफलता मिलने की संभावनायें उनमें क्षीण होती जा रही हैं |

5- विद्यार्थियों के प्रयास से सम्बंधित एकांशो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 54.08 प्रतिशत किशोरियां प्रयासों के माध्यम से जीवन में सार्थक परिवर्तन के प्रति सकारात्मक है और स्वप्रयास से शिक्षा प्राप्ति के लिए तत्पर हैं | वही 45.91प्रतिशत किशोरियां शैक्षिक आकांक्षा के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वप्रयास के माध्यम से सफलता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं |

6- विद्यार्थियों के स्वयं के विचार से सम्बंधित एकांशों में 76.42 प्रतिशत किशोरियां अपने विचारो के प्रति सकारात्मक है जबकि 23.57 प्रतिशत के विचारो में विचलन है | वे पारिवारिक दबाब काल्पनिक शक्तियों की भूमिका और सफलता के लिए अनैतिक रास्तों पर विश्वास रखती हैं |

7-वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महत्वाकांक्षा में प्रतिशत 67.14 प्रतिशत बाल अपराधी किशोरियां सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं | उनका विश्वास है कि जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति में परिश्रम के साथ अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता होती है | साथ ही वे अपने अभिभावकों की पहचान के इतर अपने कार्यों में सम्मान व पहचान चाहती है | वही 32.86 प्रतिशत किशोरियों के मत में जीवन के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महत्वाकांक्षा, सहयोग, और स्व पहचान के प्रति नकारात्मक है |

8-बाल अपराधी किशोरियों की रुचियों एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया जो आने वाले भविष्य में उनको लाभ प्रदान कर सके |

5.7 शोध का निष्कर्ष

समाज में बढ़ते बाल अपराध और गंभीर अपराधों में किशोरियों की बढ़ती भागीदारी वर्तमान समय में एक जटिल समस्या बनकर उभरती हैं | संप्रेक्षण गृहों में निरुद्ध किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं पर आधारित यह शोध उनकी अपराधिक मनोवृत्ति के कारणों के सम्बन्ध में जो तथ्य उद्घाटित करता हैं वे सभ्य समाज में समेकित विकास की स्याह तस्वीर को उजागर करते हैं | राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ें बताते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति और अशिक्षा के चलते किशोरियां अपराध कर रही हैं | एनसीआरबी के इन तथ्यों की पुष्टि इस शोध में होते हैं | शोध में सम्मिलित 83.46 प्रतिशत किशोरियों अल्प आय वर्ग से ताल्लुक रखती हैं | पारिवारिक तनाव, कुंठा, घरेलू कलह, आदि वे कारण हैं जो बालिकाओं को शिक्षा छोड़ने पर मजबूर करते हैं | अपराधी बालिकाओं के साथ समाज का उपेक्षापूर्ण व्यवहार और उनका दूषित सामाजिक परिवेश उन्हें अपराध की ओर उन्मुख करता हैं | शोध हेतु एकत्र किए गए प्रदत्तों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि तक़रीबन 79 प्रतिशत किशोरियां उच्च शैक्षिक आकांक्षा रखती हैं और उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं | परन्तु संप्रेक्षण गृहों में दी जाने वाली शिक्षा और उसकी व्यवस्था के हालात काफी नाजुक हैं | वर्तमान में संप्रेक्षण गृहों में संचालित शैक्षिक कार्यक्रम उनके आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिए नाकाफी हैं | शोध अध्ययन के दौरान प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण अवलोकन के निजी अनुभवों एवं सहभगिता के पश्यात शोधर्थिनी शोध समस्या के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि बाल अपराधी किशोरियों में शिक्षा प्राप्ति की आकांक्षा उच्च स्तर की हैं, परन्तु निम्न आर्थिक स्थिति,दूषित सामाजिक परिवेश,अशिक्षा के चलते वे अपराध की ओर उन्मुख होती हैं | संप्रेक्षण गृहों में उनकी रूचि एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था न होने और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण शैक्षिक आकांक्षा के अनुरूप उनका शैक्षिक विकास नहीं हो पा रहा हैं |

यह शोध बताता है कि संप्रेक्षण गृह की शिक्षा व्यवस्था गैर-तकनीकी अव्यवहारिक एवं जीवन को सरल बनाने में सक्षम नहीं है | जबकि बालिकायें शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए इच्छा रखती है | साथ ही उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं व क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा कार्यक्रमों की अनु उपलब्धता उनके शैक्षिक विकास को अवरुद्ध करती हैं | संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध तक़रीबन 46 प्रतिशत किशोरियां शिक्षक बनकर समाज में अपना योगदान देना चाहती है वही 20 प्रतिशत किशोरियां चिकित्सक बनाना चाहती है तो 24 प्रतिशत लगभग किशोरियां स्वरोजगार जैसे ब्यूटीशियन, बेकरी, जरदोजी, खिलौना निर्माण, हस्तशिल्प, आदि के माध्यम से अपनी रूचि को अपने विकास का संसाधन बनाना चाहती है वही 10 प्रतिशत किशोरियां ऐसी भी है जो शिक्षा को महज दिखावा मानती हैं और उनका मानना है कि इस शिक्षा से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला हैं | शोध अध्ययन के दौरान बालिकाओं से बात-चीत के दौरान यह पता चलता है कि वे कुछ किशोरियां पुनः अपराध करके संप्रेक्षण गृह में आयी हैं | इससे यह पता चलता है कि संप्रेक्षण गृह की शिक्षा व्यवस्था ने उनकी मनोवृत्तियों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है | जिसका प्रमुख कारण उनकी आकांक्षाओं,रुचियों, आवश्यकताओं और जीवन उपयोगी शिक्षा की कमी का होना हैं | शोधार्थी ने अपने

निरीक्षण,अवलोकन में पाया है कि समाज,परिवार,और परिवेश की नकारात्मक स्थितियों के चलते अपराध जगत में आयी इन किशोरियों के लिए रोजगार उन्मुख तकनीक शिक्षा के साथ-साथ विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए |

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इन अपराधी किशोरियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन के लिए उनकी उच्च स्तर की शैक्षिक आकांक्षा के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना होगा |

5.8 शैक्षिक निहितार्थ

किसी भी समाज के विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन हैं | शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती हैं | शिक्षा के आभाव में किसी भी समाज का विकास संभव नहीं हैं | आज बढ़ती बाल अपराध की दर, समाज में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव, राजनीति के अपराधीकरण व पुलिस के राजनीतिकारण पर जन मानस की गहरी चिंता का विषय हैं | जिस पर गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता हैं | समाज में बढ़ते बाल अपराध के आकड़े इस ओर ध्यान आकृष्ट्र कर रहे है कि यह समस्या पूरे संसार में एक आग की तरह फैलती जा रही हैं | जिसके कारण हमारे राष्ट्र की नवयुवक इस आग की चपेट में आ रहे हैं | किसी भी देश एवं समाज का विकास उस देश के नवयुवकों पर निर्भर करता है क्योंकि वह कल के भविष्य निर्माता हैं और उन के कंधो पर देश का विकास निर्भर हैं | अशिक्षा, गरीबी, निम्न आर्थिक स्थितियां ,पारिवारिक तनाव, दूषित वातावरण, लालच, ईर्ष्या, विखंडित परिवार, माता-पिता के द्वारा उपेक्षित, इत्यादि कारण किशोरियों को बाल अपराध की दिशा कि ओर बढ़ावा देती हैं | जिसके कारण बाल अपराध की संख्या दिन-प्रतिदिन एक तेज रफ़्तार की तरह बढ़ती ही जा रही हैं | किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं | शैक्षिक आकांक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे लक्ष्यों का निर्धारण करता हैं | अतः उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरणा भी प्रदान करती हैं | जब शैक्षिक आकांक्षा के अनुरूप हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त होती हैं तब जीवन में आत्मविश्वास पैदा होता हैं | परन्तु जब यही शैक्षिक आकांक्षा की प्राप्ति में अवरोधन उत्पन्न होता हैं तब यह बच्चों के मन में कुंठा, हताशा, द्वेष,असमयोजन की स्थिति उत्पन्न करती हैं |

अतः अध्ययन के निष्कर्ष से प्राप्त होता हैं की बाल अपराधियों के जीवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हैं | इसके द्वारा समाज से इस समस्या को कही-न-कही दूर किया जा सकता हैं | इन सारे बिन्दुओं को देखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि यह शोध इस दृष्टि से उपयोगी होगा |

- ❖ अधिकांश बाल अपराधी गन्दी –बस्तियों एवं झुग्गी-झोपड़ियों के ही होते हैं जो रेलवे के किनारे, नदी-नाले के किनारे सड़कों के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं | वहां न तो साफ सफाई की व्यवस्था होती हैं न स्वास्थ्य की और न ही शिक्षा की | अतः सरकार को ऐसी बस्तियों को समाप्त करके उनके लिए समुचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिए |
- ❖ संप्रेक्षण गृह में उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनकी रूचि के अनुरूप हो और जिसको करने में बोझ न समझे |

- ❖ किशोरियों के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियायें ,खेलकूद के लिए मैदान, खेलकूद की प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससें बच्चें आकर्षित हो, शिक्षको को बच्चों के माता-पिता से समय-समय पर मिलना चाहिए और उनके क्रियाकलापों की जानकारी उन तक पहुंचाना चाहिए |
- ❖ बाल सुधार गृह में रहे रही किशोरियों के लिए उनकी शारीरिक-मानसिक मनोस्थिति को जानने एवं समझने के लिए पूर्ण व्यवस्थित तरीके से निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए |
- ❖ किशोरियों के साथ अधिकांशत यह देखा जाता है कि परिवार के द्वारा उपेक्षित व्यवहार उनको गलत दिशा में ले जाती हैं इसीलिए उनके साथ स्नेपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए |
- ❖ विद्यालय में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाये जिन्हें उनकी भावनाओं को समझ कर उनकों पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए |
- ❖ किशोरियों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाएं,पुस्तकों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए |
- ❖ किशोरियों के लिए रोजगारपरक विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाये जाये जिनमें डेयरी, बेकरी, नर्सिंग, कम्प्युटर, ब्यूटी पार्लर, सौर ऊर्जा लालटेन निर्माण, एग्रीकल्चर, खिलौने, मेहंदी, इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये और उन्हें स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा दी जाये |
- ❖ किशोरियों के लिए तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक संसाधनो का प्रबंध होना चाहिए |
- ❖ किशोरियों को रोजगारपरक विषयों में प्रशिक्षित कर उनको कुटीर उद्योग-धंधो की स्थापना हेतु सरकारी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की जाये जिससे आगे चलकर उनको रोजगार करने के लिए मदद प्राप्त हो सके |
- ❖ गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों संस्थानों को बाल अपराध के प्रति लोगो को जागरूक करना चाहिए | प्रायः लोग बाल अपराधियों के प्रति अच्छा नजरिया नहीं रखते है और इसके नियंत्रण में अपना उतरदायित्व नहीं समझते | अतः समाज के हर व्यक्ति को अपना उतरदायित्व समझना चाहिए और समाज में बाल अपराध को पनपने से रोकना चाहिये |

5.9 भावी शोध हेतु सुझाव

- ❖ बाल अपराधी किशोर एवं किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययय |
- ❖ बाल अपराधी किशोरियों की शैक्षिक व्यवस्था एवं समायोजन स्तर का अध्ययन
- ❖ सम्प्रेक्षण गृह में संचालित किशोरियों हेतु शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का अध्ययन |
- ❖ सम्प्रेक्षण गृह में बाल अपराधी किशोरियों को दी जाने वाली शिक्षा का उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन |

- ❖ सम्प्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरियों के लिए संचालित व्यावसायिक, तकनीक, एवं उच्च शिक्षा की स्थिति का अध्ययन |
- ❖ बाल अपराधी किशोरियों के अभिभावकों एवं समाज की शिक्षा एवं उनके समायोजन का अध्ययन |
- ❖ बाल अपराधी किशोरियों की निरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद उनकी शिक्षा के लिए संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन |
- ❖ स्वयं सेवी एवं सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का बाल अपराधी किशोरियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की प्रभावशीलता का अध्ययन |
- ❖ सम्प्रेक्षण गृह में निरुद्ध के दौरान किशोरियों में शिक्षा प्राप्ति के लिए होने वाले परिवर्तनों एवं उनके लिए किए जाने वाले प्रयासों का अध्ययन |
- ❖ बाल अपराधी किशोरियों की निरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का अध्ययन |

संदर्भ ग्रन्ध सूची

- अकेर्मन,आर.एंड गुत्मन,एम.एल.(2008).*डीटरमैन्ट्स ऑफ़ एसपीरेसन,*सेण्टर फॉर रिसर्च ऑन दी विडर बेनिफिट्स ऑफ़ लर्निग इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल :लन्दन,रिसर्च रिपोर्ट

  http://eprints.ioe.ac.uk/2052/

- अनूपी,एस.(2013).*किशोरों में बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति कारण एवं निदान,*भारतीय आधुनिक शिक्षा,सागर(म.प्र.).बर्ष 4,अंक 4, पृ.सं.54-61
- आहूजा,आर.और आहूजा,एम.(2015).*विवेचनात्मक अपराधशास्त्र*.जयपुर:रावत पब्लिकेशन.
- आहूजा, आर.(2015).*सामाजिक समस्याएँ* .दिल्ली :रावत पब्लिकेशन:पृष्ठ संख्या(340-380)
- बेअमन,एल.इ.डुओ.पाण्डेय,आर.एंड टोपालोवा,पी.(2012).*फीमेल लीडरशिप रेसेस एस्पीरेशन एंड एजुकेशनल अटेंटमेंट फॉर गर्ल्स*,ए पोल्सी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया,335(6068),582-586

  http://science.sciencemag.org/content/335/6068/582

- भट्ट,एम.(2014,कश्मीर विश्वविद्यालय).*जुवेनाइल डेलीक्विंसी इन कश्मीर*: ए केस स्टडी ऑफ़ ऑब्जरवेशन होम ,हरवान श्रीनगर.पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(अप्रकाशित) समाजशास्त्र.कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर(जम्मू कश्मीर)
- क्राइम इन इंडिया.(2010).*नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो*,मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स,गवमेंट ऑफ़ इंडिया.नई दिल्ली
- चकमा,एस.(2013).*इंडियाज हेल होल्स* : चाइल्ड सेक्सुअल अस्सलट इन जुवेनाइल जस्टिस होम्स,एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स https://www.achrweb.org/reports/india/IndiasHellHoles2013.pdf
- चिंगथम,टी.(2015).*कासेस ऑफ़ जुवेनाइल डेलिनक्वेसिं इन द हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट*,जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड मेथड इन एजुकेशन,5(5),20-24

  http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-5%20Issue-5/Version-2/C05522024.pdf

- दैनिक जागरण.(2009).*एन आर्टिकल्स ऑन साइकोलॉजी ऑफ़ चाइल्ड वायलेंस*,3जून.
- देवगन,पी.और तोमर,आर.एस.(2013).*उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक,आर्थिक स्तर एवं स्वभाव के प्रभाव का अध्ययन*, भारतीय आधुनिक शिक्षा,आगरा (उ.प्र.).बर्ष 33 ,अंक 4, पृ.सं.77-98
- द्विवेदी,आर.डी.(2014).*बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक परिवेश,माताओं की शिक्षा*,वाराणसी(उ.प्र.).बर्ष35,अंक 2,पृ.सं.67-84
- गोटफ्रेड्स,एल.एस.(1981).*एंड कोम्प्रोमाईज़ : ए डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ़ ऑक्यूपेशनल एस्पीरेशन*,जर्नल ऑफ़ काउन्सलिंग साइकोलॉजी,28(6),545-579

http://www1.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1981CCtheory.pdf

- हालर,इ.जे.एंड विर्क्लेर,एस.जे.(1993).*अनदर लुक एट रूरल-नॉनरूरल डेफ्रेरेंसस इन स्टूडेंट एजुकेशनल एस्पीरेशन*,जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन रूरल एजुकेशन,9(3),170-178

http://jrre.vmhost.psu.edu/wp-content/uploads/2014/02/9-

- जॉनसन,एल.(1995).*ए मल्टीडायमेंशनल एनालिसिस ऑफ़ द वोकेशनल एस्पीरेशन ऑफ़ कॉलेज* स्टूडेंट,मेजरमेंट ऑफ़ इवैल्यूएशन इन काउंसलिंग साइकोलॉजी,28(1),25-44

https://eric.ed.gov/?id=EJ507897

- जैकब, डब्ल्यू.एंड हर्रे,डी.(2010).*डू पेरेंट्स मेक ए डेफ्रेरेंस टू चिल्ड्रेन अकेडमिक अचीवमेंट*: डेफ्रेरेंसस बेटवीन पेरेंट्स ऑफ़ हायर एंड लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स.जर्नल एजुकेशन स्टडीज,31(4),431-448
- **3_5.pdfhttps://eric.ed.gov/?id=EJ721788**
- क्वोरासास,डब्ल्यू.सी.(1964).*जुवेनाइल डेलिनक्वेसिं ए प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड*.पेरिस:यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001334/133429Eo.pdf

- कुमारी,एम.(2007).*अपराध का स्त्रीवादी विवेचन*.पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(अप्रकाशित) स्त्री अध्ययन.महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा(महाराष्ट्र).
- मैकब्रयने,पी.(1987).*एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल एस्पीरेशन ऑफ़ रूरल यूथ*,रिसर्च इन रूरल एजुकेशन ,4(3),135-141

http://jrre.vmhost.psu.edu/wp-content/uploads/2014/02/4-3_6.pdf

- मेहता,एन.(2008).*चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम*:फॉर चिल्ड्रेन इन नीड़ ऑफ़ केयर एंड प्रोटेक्शन.मुंबई:चिल्ड्रेन फाउंडेशन

https://childlineindia.org.in/pdf/CP-JJ-CNCP.pdf

- मतलूब,अ.(2015).*क्यों बढ़ती जा रही है बाल अपराध की घटनाएं*
- http://www.prabhatranjanchoudhary.in/2015/12/blog-post_20.html)
- मोदी,पी.(2014).*इंदौर शहर के बाल अपराधियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण*. पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(शोधगंगा) गृह विज्ञान(बाल विकास).देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर(मध्य प्रदेश).
- पेटन, डब्ल्यू.एंड क्रीड,पी.(2007).*ऑक्यूपेशनल एस्पीरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ़ ऑस्ट्रलियन एडोलसेन्स*, ऑस्ट्रलियन जर्नल ऑफ़ कैरियर डेपलपमेंट

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.427.969&rep=rep1&type=pdf

- पाण्डेय,एस.एस.(2012).*किशोर न्याय :बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम*,2007.इलाहबाद:हिन्द पब्लिशिंग हाउस

- पाण्डेय,के .(2015).*बाल यौन शोषण:एक बहुआयामी समस्या*,आई.एस.एन.नई दिल्ली,बर्ष 34, अंक 2,पृ.सं.10 -12
- पाण्डेय,आर.के.(2015).*किशोर अपराधियों की मनोसामाजिक पार्श्विक*.पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(प्रकाशित) मनोविज्ञान.वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर(उत्तर प्रदेश).
- राष्ट्रीय सहारा.(2013).*नाबलिकों के अपराध एवं समाप्त व न्याय की जबाबदेही*.7सितम्बर
- रीता,वी.(2012).*विधानेतर बाल-अपराध का समाजशास्त्र*:वाराणसी नगर पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन.पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(शोधगंगा)समाजशास्त्र.काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
- स्वेल, डब्ल्यू.एच.एंड शाह.वी.पी.(1968).*पेरेंट्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रेन्स एजुकेशनल एस्पीरेशन एंड अचीवमेंट*,अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यु,33(2),191-209
- **https://www.ssc.wisc.edu/wlsresearch/publications/files/public/Sewell-Shah_Parents.Education.C.E.A.A.pdf**
- सिंह,एस.(2001).*अपराधशास्त्र के सिद्धांत*.इंदौर:कमल प्रकाशन
- सिंह,प्रो.ए.पी.एवं प्रसाद,वी.(2007).*सामाजिक समस्याएँ और अपराध*.नई दिल्ली:यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन. पृष्ठ संख्या(342-368)
- सुदर्शन,एच.और शेंडे,आर.(2007).*बाल श्रम अपराध एवं समाधान*.जयपुर:साहित्यागार प्रकाशन.पृष्ठ संख्या(50-138)
- संजीव, के.(2008).*विशिष्ट शिक्षा*.दिल्ली:जानकी प्रकाशन.पृष्ठ संख्या(92-97)
- सिंह,ए.के.(2009).*उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान*. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.पृष्ठ संख्या(228-260)
- सिंह,आ.(2011).*संयुक्त एवं एकल परिवार के उच्च माध्यमिक स्तर के मूल्यों,समायोजन तथा आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन*.पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(शोधगंगा)शिक्षा संकाय. जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय नागौर(राजस्थान).
- सतसंगी,जी.पी.(2012).*उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर पर माता-पिता के प्रोत्साहन का प्रभाव*,राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक संदर्भ ;न्युपा. बर्ष 19,अंक 3,पृ.सं.103-110
- सिंह,ए.के.(2013).*शिक्षा मनोविज्ञान*.दिल्ली:भारती भवन प्रकाशन.पृष्ठ संख्या(656-666)
- सिंह,बी.और सिंह,डी.(2013).*लखनऊ बाल सुधार गृह के बाल अपराधियों के व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन*,भारतीय आधुनिक शिक्षा,इलाहाबाद (उ.प्र.).बर्ष 34 ,अंक1,पृ.सं.23-36
- साहा,डी.(2015).*किशोर अपराध में 47% वृद्धि लेकिन वयस्क कानून से शायद न मिले मदद*.इंडियास्पेंड,
- http://www.indiaspendhindi.com)
- सिन्हा,अ.(2015).*कानून और समाज*: क्या सलूक करे किशोरों के साथ?
- सिंह,एल.(2017). *भारत में बढ़ता बाल अपराध*, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में किशोर बन रहें अपराधी,

- (https://keshavsidar.wordpress.com/2017/02/03/
- शेफर,एस.(1969).*थ्योरिज इन क्रिमिनोलॉजी*.न्यू यॉर्क:रैंडम हाउस
- शर्मा,एस.(2009).*महिलाओं में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति*,देशबंधु (http://www.deshbandhu.co.in/parishist/BF-12569-2)
- शंकर,एस.(2011).*किशोर महिला अपराधी*: दिल्ली के दो संप्रेक्षण गृहों की किशोरियों का अध्ययन. पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(शोधगंगा) सामाजिक अध्ययन.जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय नई दिल्ली.
- शर्मा,पी.(2011).*क्यों बढ़ रहे हैं बाल-अपराध*, http://www.deshbandhu.co.in/vichar/--30620-2)
- शाश्वत,वी.(2017).*मनोवैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर रोके जा सकते हैं बाल अपराध*,प्रभासाक्षी http://www.prabhasakshi.com/news/currentaffairs/story/19902.html)
- शर्मा,आर.एंड राय,आर.(2012).*ए स्टडी ऑफ़ क्रिएटिविटी अमंग डेलीक्वेंट चिल्ड्रेन ऐट सेकेंडरी लेवल इन मेरठ*,इंटरनेटनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफिक एंड रिसर्च,2(10),1-4 **http://www.ijsrp.org/research-paper-1012/ijsrp-p1050.pdf**
- टाइम्स ऑफ़ इंडिया(2008).*ए रिपोर्ट ओद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स*,16फरवरी
- वाल्टर,एवं मारजल्फ़.(1957). *विद्यालय की सम्प्राप्ति आयु यौनकता के संबंध में आंकाक्षा स्तर का अध्ययन.* पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(अप्रकाशित) शिक्षाशास्त्र.
- वास्तव,ए.(2007).*बाल अपराधी का सामाजिक एवं आर्थिक कारण के रूप में अध्ययन*.द क्यूसिट क्यूटर्ली,जबलपुर(म.प्र.).1(2),59-50

  यादव,वी.(2009). *बाल अपराध : बिगड़ता बचपन ,भटकता राष्ट्र*.साहित्य शिल्पी (http://www.sahityashilpi.com/2009/02/blog-post_28.html)
- यादव,पी.के.(2011).*माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर ,आधुनिकीकरण और जीवन मूल्यों का उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का अध्ययन.* पी-एच.डी. शोध प्रबंध.(शोध गंगा)शिक्षाशास्त्र.वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर(उत्तर प्रदेश).
- यादव,पी.(2016). *जुवेनाइल डेलिनक्वेसिं एस ए बेहेवरियल प्रॉब्लम*,द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंडिया साइकोलॉजी,4(1),76 **http://www.ijip.in/Archive/No74/DIP%2018.01.022.20160476.pdf**
- यादव,डी.के.(2016).*ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध का अध्ययन*.एम.फिल.शोध प्रबंध.(अप्रकाशित).शिक्षा विभाग.महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा(महाराष्ट्र).
-